कामकाजी महिला

वर्ष 1 अंक 3 फरवरी 1989 मूल्य एक रू.

नेलसन मंडेला एवं अन्य राजनीतिक बंदियों को रिहा करो

कांग्रेस के घड़ियाली आंसू से महिलाएं वाकिफ हैं

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने 5 नवम्बर 1988 को एक प्रस्ताव पारित कर राजनीतिक दलों से संसद और राज्य विधान सभा में महिलाओं की 30 फीसदी नामजदगी की अपील की. प्रस्तावना में कई मांगों को उठाया गया है, यथा महिलाओं के खिलाफ अपराध से प्रभावी ढंग से निबटने के लिए तंत्र जबकि इस संबंध में कानून बनाए जा रहे हैं. प्रस्तावना में ग्रामीण महिलाओं के हित में सभी स्तर पर विकास कार्यक्रम शुरू करने की जरूरत पर बल दिया गया है. इसमें यह भी कहा गया है कि जिन क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर कम हैं या घट रहे हैं वहां महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने की कोशिश की जानी चाहिए. इस प्रस्ताव में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया कि रोजगार के परम्परागत क्षेत्रों के आधुनिक बनाने का काम सावधानी पूर्वक और चयन के आधार पर की जानी चाहिए इसमें लड़कियों की शिक्षा, छात्रा वास तथा दोपहर के भोजन के लिए अधिक आर्थिक अनुदान की अपील की गई है. मारग्रेट अल्वा का मानना है कि विकास के तमाम कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए उन्होंने कहा कि अगला दशक "ग्रामीण महिलाओं का दशक हो.

श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी ने महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता पर बल दिया. ऑल इन्डिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव गुलाम नबी आजाद ने महिलाओं के चुने जाने के सवाल पर पुरुषों के नकारात्मक रवैये की आलोचना की. श्रीमती एम. चन्द्रशेखरन ने कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि औरतों को अपने पैरों पर खड़े होने में मदद करे. इस अधिवेशन में श्रीमती चौहान ने आलोचनात्मक रवैया अपनाते हुए कहा कि केवल प्रस्तावों से महिलाओं की कोई

(शेष पृष्ठ 22 पर)

इस अंक में

कांग्रेस (इ) की घड़ियाली आंसू	2
केरल में दस्तकार महिला समन्वय समिति	3
नेलसन मंडेला को रिहा करो	4
प्रसूती अवकाश लाभ (संशोधन) अधिनियम	5,6
बाल कन्याओं की हत्या में कांग्रेस (इ) विधायक शामिल	7
मुजफ्फरपुर बलात्कार कांड के दोषियों को सजा दो	8
औरतों के खिलाफ बढ़ते अपराध	9
कामकाजी महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थितियां, का. पापा उमानाथ एवं अन्यों की बधाई	10,11
उड़ान के समय परिचारिकाएं जूनियर हो जाती हैं	12
दिल्ली में 7 दिन की हड़ताल में महिलाओं की भूमिका	13
जातिवाद मिटाने की कांग्रेसी तरीका	14
भारत की जनवादी नौजवान सभा द्वारा युवा महिला सम्मेलन आयोजित	15
चीन में महिला मजदूरों के लिए श्रम संरक्षण कानून	16
अहमदाबाद में कामकाजी महिलाओं का दूसरा सम्मेलन	17
बिहार की ऐतिहासिक हड़ताल और कामकाजी महिलाएं	18
भ्रष्ट अधिकारी का तबादला	19
लम्बे संघर्ष का फल अब पाकिस्तान की महिलाओं को मिलेगा	20, 21
का. सफदर को लाल सलाम	24

सीटू के अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति क लिए विमला रणदिवे की ओर से 6 तालकटोरा, रोड, नई दिल्ली 11000, (फोन 384071) से सम्पादित और प्रकाशित तथा प्रोग्रेसिव प्रिन्टर्स, 21-ए झिलमिल इडस्ट्रीयल एरिया, शाहदरा, दिल्ली में मुद्रित

नेल्सन मंडेला और दूसरे राजनीतिक कैदियों को रिहा करो

नेल्सन मंडेला आजकल मेडी-क्लिनिक में हैं जहां उनके क्षय रोग का इलाज चल रहा है. डा. जे. स्ट्रांस जो कि यगबर्ग अस्पताल के मुख्य अधीक्षक हैं, का कहना है कि उन्हें खुशी है कि उनकी देख रेख में मंडेला धीरे-धीरे स्वस्थ्य हो रहे हैं. उन्होंने बताया कि श्री मंडेला में अब बिमारी के लक्षण नहीं है. डा. स्ट्रांस गत 13 सितंबर को उन्हें देखने गए थे.

नेशनल पार्लियामेंट ने अपनी एक घोषणा में दावा किया है कि अश्वेतों के म्यूनिसपल चुनावों की कामयाबी के बाद नए सरकार के लिए यह जरूरी हो जायेगा कि वह नेल्सन मंडेला की रिहाई के बारे में नए सिरे से बिचार करे. सरकार के वरिष्ठ सूत्रों का कहना है कि श्री मंडेला को इससे पहले रिहा नहीं किया जा सकता क्योंकि सरकार को आशंका है कि उनकी रिहाई से आगामी म्यूनिसपल चुनावों के दौरान संकट उत्पन्न हो सकता है. उनकी दलील है कि अभी नेल्सन मंडेला को रिहा करने के उचित समय की प्रतीक्षा की जा रही है. सूत्रों का दावा यह भी है कि श्री मंडेला को प्वॉल समूह जेल में वापस नहीं भेजे जाएगें, उनका यह भी कहना है कि दरअसल उन्हें बहुत पहले ही छोड़ा जा चुका है और अब आजकल वे सुरक्षा के लिहाज से पुलिस हिफाजत मे अतिमहत्वपूर्ण व्यक्ति की तरह केप टाउन के मशहूर कान्सटिया वर्ग मेडी क्लीनिक म इलाज करवा रहे हैं.

नेल्सन मंडेला की रिहाई द. अफ्रीका मे श्रीमती थैचर की यात्रा को सुरक्षित करने के लिए काफी नहीं होगा जिसके लिए पी. डब्लू बोथा चिंतित हैं और अपनी सरकार की निरन्तर गिरती हुई अन्तर्राष्ट्रीय छविको बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं.

यूरोप में रह रहे, बोथा के दोस्त हेलमुट कॉल ने, जो कि पश्चिमी जर्मनी के चान्सलर है, कहा कि वे यह जानकर बहुत नाखुश हैं कि मंडेला की रिहाई के बारे में हाल ही मे दिए उनके सुझाव को अमल मे नहीं लाया गया. ब्रिटेन की उपनिदेश सचिव श्रीमती लिण्डा चांकर ने भी दक्षिण अफ्रीका की अपनी यात्रा जिसके लिए वे लंदन से चल पड़ी थी, रद्द कर दी. मंडेला की रिहाई को बार-बार टालने की खतरनाक नीति की वजह से वहां के अधिकारियों को स्तर्क कर दिया गया है.

इस साल के पहले तक प्रीटोरियो सरकार का विश्वास था कि ब्रिटेन की प्रधान मंत्री श्रीमती मारग्रेट थैचर की द. अफ्रीका की यात्रा नेल्सन मंडेला की रिहाई पर निर्भर है. लेकिन अब दक्षिण अफ्रीका के अधिकारी मानने लगे हैं कि वे कूटनयिक लाभ खास करके ब्रिटेन की प्रधान मंत्री से बेहतर संबद्ध का राजनैतिक लाभ तभी प्राप्त कर सकते हैं जब वे बिना शर्त श्री मंडेला और समूचे राजनैतिक कैदियों को रिहा करेंगे. पाश्चमी सरकार का यह संदेह है कि प्रीटोरिया सरकार के पास श्री मंडेला की रिहाई के बाद उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए कोई प्रभावी योजना है. इन सरकारों को भय है कि जब दक्षिण अफ्रीका सरकार को यह महसूस होगा कि रिहा किए गए कैदी अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और द. अफ्रीकी सरकार के बीच बातचीत की मांग उठाने लगे हैं और वे इन मांगों को लेकर दक्षिण अफ्रीका की अश्वेत जनता को कतारबंद करने लगे हैं तब प्रीटोरिया सरकार या तो इन्हें दुबारा गिरफ्तार करने या इनकी कार्रवाई पर प्रतिबंध करने पर उतारू हो सकती है. बोथा को समर्थन देने वाली पश्चिमी देशों की सरकारें अपनी प्रवृति प्रकट करने को इस कारण मजबूर हुए जब दुनियां भर में नेल्सन मंडेला की रिहाई की मांग आंदोलन बन गया. इस आंदोलन के जोर के आगे उन्हें झुकना पड़ा. दक्षिण अफ्रीका विदेश कार्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वे भी नेल्सन मंडेला के संबंध में अविलम्ब कार्रवाई करने की मांग कर रहे है. अगर ऐसा हुआ तो वे भी इस सराहनीय काम में अपन योगदान के लिए प्रशंसा पाने के हकदार माने जायेंगे.

(अब्जर्वर (इंगलैंड) 6 नवम्बर 1988)

नेल्सन मंडेला के संबंद्ध में ताजो खबर यह है कि उन्हें अस्पताल से हटाकर विक्टर वेरेस्टर कैदखाने में ले जाया गया है.

केरल में दस्तकार महिला समन्वय समिति

एम.के. कमलम्मा

दस्तकारी में, कुशल, अर्द्धकुशल और अकुशल महिला व पुरुष दस्तकारों की 150 से ज्यादा श्रेणियां इसमें शामिल हैं. केरल में ऐसे लोगों की संख्या 22 लाख से भी ज्यादा है, जो कि, परम्परागत् औजारों से अपनी आजीविका कमा रहे हैं.

इनकी सबसे अहम् समस्या तो यह है, कि मशीनीकरण और आधुनिकीकरण की वजह से इन्हीं परम्परागत औजारों से अपनी रोटी-रोजी कमा पाना मुश्किल होता जा रहा है. भारत के अर्थतन्त्र की विषमताओं ने इन कामगारों से नौकरी के सारे अवसर छीन लिये हैं. आजकल उनको साल में लगभग 100-110 दिन ही काम मिल पाता है. इन दस्तकारों की जिन्दगी बहुत त्रस्त और हताश हो गई है. खासकर गांवों में तो इनकी हालत बहुत ही दयनीय है. यहां तक कि कुशल दस्तकारों को भी नौकरी नहीं मिल रही है नौकरी की तलाश में वे दर-ब-दर भटक रहे हैं.

दस्तकारों की इन समस्याओं के अध्ययन के बाद हमने 1964 से ही उन्हें संगठित करना शुरू किया. 150 से ज्यादा किस्मों के दस्तकारों को इसमें शामिल कर उन्हें एक संगठन में संगठित किया गया, क्योंकि श्रेणीगत स्तर के छोटे-छोटे संगठन इनकी समस्याओं को सुलझा पाने में नाकामयाब रहे हैं. इसलिए हमने सन् 1971 में "केरल दस्तकार संघ" नाम की एक यूनियन बनाई और भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम के तहत इसे पंजीकृत कराया गया.

अपने अनुभवों से हम यह महसूस कर रहे हैं कि, इन दस्तकारों को सेक्टरवार संगठित करने के मुकबिले उन्हें व्यापक स्तर पर संगठित करना आसान नहीं है. अभी भी ज्यादातर दस्तकारों का यही मानना है कि उनकी समस्यायें श्रेणीगत संगठनों या ऐसे ही दूसरे संगठनों से हल हो सकती हैं. वे सभी अलग-अलग राजनीतिक दलों के मानने वाले हैं.

उन्हें संगठित करने के लिए हमने लगातार राजनीतिक क्लासें लेनीं शुरु कीं और इस तरह से हम उनके रूढ़ीवादी और फिरकापरस्त और साम्यवाद-विरोधी विश्वास का रुख साम्यवादी विचारधारा और मजदूर आंदोलन की तरफ मोड़ रहे है. इस तरह सन् 1968 से लेकर 1982 तक उन्हें संगठित करने के बाद हम "केरल दस्तकार संघ को" 1983 में सीटू से सम्बद्ध कराया है. मौजूदा समय में इसके सदस्यों की संख्या 351000 से ऊपर है.

इस समय, जब हम घर-घर जाकर संगठन का काम कर रहे हैं, हमने देखा कि, दस्तकारों के परिवारों में बेरोजगार महिलायें बहुत पिछड़ी हुई थीं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से तो वे बहुत ही पिछड़ी हुई हैं.

केरल दस्तकार संघ की राज्य समिति ने 1975 में "महिला दस्तकार फेडरेशन" के नाम से महिला दस्तकारों का एक अलग संगठन बनाने का निश्चय किया. हमने ग्राम स्तर पर इकाइयों की स्थापना की जिसमें उन्हें सिलाई-कटाई बेंत और बांस का काम, फाइबर और प्लास्टिक का काम, पापड़, बीड़ी, मोमबत्ती, माचिस बनाने के तथा दस्तकारी के और दूसरे काम करना सिखलाया. और उन्हें रोजगार मुहैया कराने के लिये ग्रामीण लघु-औद्योगिक इकाइयों की शुरुआत की.

उन्हें प्रशिक्षण देते हुए हमने उनकी कक्षायें लीं और उन्हें राजनीतिक विचारों से लैस किया. उसके बाद ही उन्होंने दस्तकार संघ की सदस्यता ली. हम पिछले 13 सालों में यह काम करते आरहे हैं. इसी बीच सीटू सचिवालय ने कामगार महिला समन्वय समिति बनाने का निर्णय लिया. सीटू की केरल राज्य समिति ने हमें महिला दस्तकार समन्वय समिति बनाने का निर्देश दिया जिसे हमने बनाया है. इस समय हमारी यूनियन में महिला दस्तकारों की कुल संख्या 5000 से भी ज्यादा है.

(शेष पृष्ठ 23 पर)

प्रसूती अवकाश लाभ (संशोधन) अधिनियम

विभा घोष गोस्वामी ने संसद में अपने व्याख्यान में कहा "महोदय, महिलाओं को दिये जाने वाले प्रसूति अवकाश और मेडिकल बोनस से सम्बन्धित विधेयक को उन सभी जगहों पर लागू किया जाए जहां 10 या 10 से अधिक व्यक्ति काम करती हों यही नहीं बल्कि दुकानों पर काम करने वाली महिलाओं के लिए भी यह बिल लागू किया जाए. वर्तमान नियमों के मुताबिक अभी तक इस बिल का लाभ वही महिलाएं ले सकती हैं जो संगठित क्षेत्र में काम कर रही है जिसमें काम करने वाली महिलाओं का प्रतिशत बहुत कम है. 1981 की गणना के मुताबिक सिर्फ 14 प्रतिशत महिलायें ही संगठित क्षेत्र में काम करती हैं.

जनगणना के बाद राष्ट्रीय सैंपल सर्वे की ओर से भी कुछ सर्वेक्षण करवाये गए जिनमें बहुत अन्तर नहीं था. महिलाओं के लिए बनी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना में भी संगठित क्षेत्र में महिलाओं की कम भागीदारी के बारे में स्पष्ट कहा गया है.

"वर्तमान परिस्थितियों में ग्रामीण इलाकों में खेती बाड़ी जैसे असंगठित क्षेत्र में 90 महिलाएं काम कर रही है इसलिए इस क्षेत्र में लगी महिलाएं इस बिल का लाभ नहीं ले पाती है. पूरे देश में सिर्फ 1.4 प्रतिशत माताएं ही इसका फायदा ले पाती हैं. 98.6 प्रतिशत मातायें इस बिल की सीमा से बाहर हैं.

महिलाओं के कल्याण और उनके अधिकारों के लिए बनाई गई राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना का सरकार द्वारा लगातार डंका पीटने के बाद भी महिलाओं के इस अधिकार की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया. सरकार भारत में संगठित और असंगठित दोनों कार्यरत महिलाओं के लिए प्रसव के दौरान दी जाने वाली सुविधायें देने को तैयार नहीं है.

ई एस आई व्यवस्था में बदलाव

सरकार से इस बारे में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई एस आई) द्वारा की गई व्यवस्था में बदलाव लाकर महिलाओं के प्रति कठोरता का परिचय दिया है. इससे पहले ई. एस. आई. का सदस्य होने पर सभी महिलाओं को 13 हफ्ते का प्रसूति अवकाश और अन्य सुविधाएं मिल जाती थी लेकिन अब ऐसा नहीं है जो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए खराब कहा जा सकता है. प्रसूति अवकाश और अन्य सुविधाएं मातृत्व का अधिकार है बल्कि मैं तो यही कहूंगी कि देश में काम करने वाली सभी महिलाओं को चाहे वह संगठित क्षेत्रों में हो या कृषि जैसे असंगठित क्षेत्र में, गांव में हो या शहर में सभी महिलाओं को इस बिल के मुताबिक अधिकार मिलना चाहिए.

मैंने इसके पहले ही सदन में कह दिया था कि मातृत्व की जिम्मेदारी राष्ट्र की है. सभी गर्भवती महिलाओं में से 65 प्रतिशत महिलाओं में खून की कमी (एनेमिक) होती है और अधिकतर देखने पर पता चला है कि 65 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं की स्थिति बहुत खराब होती है. इन महिलाओं की मदद हम किस प्रकार कर सकते हैं ? मैं यह मांग करती हूं कि इस बिल में देश की सभी माताओं को मेडिकल बोनस मिलना चाहिए.

सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं को जो मेडिकल बोनस दिया जाता है वह आज की महंगाई में कई गुना कम है. सरकार की ओर से दिये जाने वाले मेडिकल बोनस और अतिरिक्त राशि में 1961 से कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है जबकि किमतें 10 गुना बढ़ गई है. जो चीजें पहले 25 रू. में उपलब्ध हो जाती थी वो अब 250 रू. में मिलती हैं और एक रूपए में मिलनेवाली वस्तु 10 रूपए में मिलती हैं मां और बच्चे की जरूरत पूरी करने के लिए मिलने वाली यह राशि बहुत ही कम है जिसकी वजह से महिलाओं को उनकी जरूरतों से वंचित रहना पड़ रहा है. मेडिकल बोनस के रूप में दिए जाने वाले 250 रू. मां और बच्चे की देख रेख के लिए अपर्याप्त हैं.

प्रसूती अवकाश को बढ़ाने की मांग

कुछ समय पहले से ही सरकार प्रसूति अवकाश को बढ़ाने की मांग पर विचार कर रही थी लेकिन वर्तमान बिल में इस अवकाश को बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है. 1979 में मद्रास में कामकाजी महिलाओं के पहले सम्मेलन में यह मांग रखी गई थी कि मां और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए प्रसूति अवकाश का समय बढ़ा कर बारह माह का किया जायेगा. महिलाओं पर घर और बाहर के दोनों कामों के पड़ने वाले बोझ के कारण प्रसूति अवकाश को तीन महीने से बढ़ाकर चार महीने तक कर देना चाहिए.

1981 में कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति की ओर से प्रसूति अवकाश को बढ़ाने की मांग पर श्रम मंत्री श्री संगमा ने कहा था कि प्रसूति अवकाश महिला अपनी इच्छानुसार ले सकती है. क्योंकि कई महिलाये बच्चा पैदा होने के बाद छुट्टी लेना चाहती हैं. लेकिन बिल में इस बात का भी जिक्र नहीं किया गया है जबकि पूर्व मंत्री श्री संगमा ने इसकी स्वीकृति दे दी थी.

एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अधिनियम में प्रावधान होने के बावजूद कई महिलायें गर्भपात और समय से पूर्व डिलवरी होने पर अवकाश और अन्य सुविधाओं से वंचित रह जाती है. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान (ए. आई. आई. एम. एस.) की नर्सों को गर्भपात के दौरान अवकाश और अन्य सुविधाएं नहीं दी जाती है इसीलिए मैं यह भी मांग करती हूं कि ए. आई. एम. एस. की नर्सों को यह सुविधाएं दी जाये और गर्भपात के दौरान उन्हें छुट्टी दी जाए. और इस अधिनियम के मुताबिक सभी सुविधाएं समय से पहले हुई डिलवरी और गर्भपात के वक्त भी दी जाए.

बड़े ताज्जुब की बात हैं कि चोथे वेतन आयोग ने कई राज्यों में प्रसूति अवकाश ब दी जाने वाली अन्य सुविधाएं सिर्फ दो बच्चों तक ही देने का नियम बना दिया है. जो महिलाओं की स्थिति देखते हुए गलत है. क्योंकि निर्णय लेने का अधिकार अभी भी पुरूष के हाथ में है महिला के पास नहीं. इसलिए पुरूष के निर्णय पर महिला और बच्चे को सजा देना कहां तक उचित है. उड़ीषा में वेतन आयोग के इस फैसले को कार्य-रूप दे दिया गया है. पंजाब में सिविल सर्जन के साइन होने पर ही प्रसूति अवकाश दिया जाता है. अलग-अलग राज्यों में जो नियम लागू किए गए हैं उनसे जाहिर होता है कि सरकार को महिलाओं से कुछ लेना देना नहीं है. छोटे परिवार की परिकल्पबा का शिकार अनेक बच्चे व माताएं भले ही हो जाये.

परिवार नियोजन को जबरदस्ती सफल नहीं बनाया जा सकता. इस बिल के आने से हमने देखा है कि बिल कई प्रकार से महिला के हित में नहीं है. दूसरा मैं यह महसूस करती है कि प्रसूति अवकाश को तीन महीने से बढ़ाकर चार महीने का करना चाहिये. मैं मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि मेडिकल बोनस भी 250 रू. से बढ़ाकर 600 रू. किया जाना चाहिये. यह दोनों सुविधायें कुछ महिलाओं को ही न मिले इसलिए इन्हें संगठित और असंगठित सभी क्षेत्रों के कार्यरत महिलाओं के लिए इन्हें लागू किया जाय.

महोदय मैं पहले ही यह बयान कर चुकी हूं कि इस बिल के तहत देश की सिर्फ 10 प्रतिशत कामकाजी महिलाये ही इस अधिकार को प्राप्त कर सकती हैं लेकिन देश की 98 प्रतिशत से अधिक मातायें इस बिल के मुताबिक इस अधिकार को पाने की हकदार नहीं है. इसलिए मैं फिर एक बार यही कहना चाहूंगी कि इस बिल में सुधार करके इसमें भारत की हर कामकाजी महिला को शामिल करना चाहिये. ताकि ग्रामीण इलाकों में खेती बाड़ी और लघु उद्योगों में कार्यरत महिलाओं, स्वतंत्र रूप से कार्यरत महिलाओं तथा गृह क्षेत्र में लगी महिलाओं को भी इसका लाभ मिल सके.

बाल कन्याओं की हत्या में कांग्रेस (इ) विधायक शामिल

राजस्थान के कांग्रेस विधायक श्री बिजेन्द्र सिंह पर कुछ दिन पहले यह आरोप लगाया गया था कि उनके परिवार में लड़कियों को पैदा होते ही हत्या कर दी जाती है. पुलिस द्वारा इस मामले की छानबीन करवाये जाने के बाद उनके यहां चार दूध मुंही कन्याओं के पैदा होने के कुछ देर बाद ही मरवाये जाने के संदिग्ध अपराध का पता चला है.

सामाजिक रूप से पिछड़े हुए राज्यों में राजस्थान सबसे ऊपर है और लड़कियों के पैदा होते ही मार देने जैसी सामाजिक बुराई भी राजस्थान में ही ज्यादा देखने को मिलो है. इस घटना से एक बार फिर नारी के सामाजिक दर्जे की असलियत का पता चल गया. जहां उसका पैदा होना ही अब तक मनहूस समझा जाता है. आदिवासियों में लड़कियों को मार देने की घटनायें तो अखबारों में आये दिन छपती ही है. लेकिन वहां उनके पैदा होने का कोई रिकार्ड न मिल पाने की वजह से मामला ऐसे ही दब जाता है.

राजस्थान में कांग्रेस विधायक भी अपने इस अपराध को स्वीकार तो नहीं किया है लेकिन असलियत यह है कि उनके साथ पुलिस और डॉक्टर भी उसमें शामिल थे. राजस्थान हाईकोर्ट ने 31 दिसम्बर को बिजेन्द्र सिंह और उनके दो चचेरे भाइयों नरपत सिंह और मान सिंह के खिलाफ चार शिशु कन्याओं की हत्या की छानबीन के आदेश दिए थे. पुलिस छानबीन के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि बच्चियों को पैदा होते ही मार दिया गया. यह रिपोर्ट 3 जनवरी को कोर्ट खुलने पर मुन्सिफ न्यायिक जज को दी गई. दो नवम्बर को बयान में बिजेन्द्र सिंह के खिलाफ पुलिस केस रजिस्टर किया गया जिसमें उन पर हत्या और दमन करने का आरोप लगाया गया था. इस मामले को छानबीन करने वाले अफसर ने बिजेन्द्र सिंह सहित 164 लोगों के बयान भी लिये थे.

प्रसूति अस्पताल में अभी तक बिजेन्द्र सिंह के परिवार में पैदा होने वाले बच्चों का रिकार्ड है. उनके परिवार में चार लड़कियों की पैदा होने के बाद दो तीन महीनों में ही सन्देह जनक परिस्थितियों में मृत्यु हो गई. बिजेन्द्र सिंह और उनके चचेरे भाई कुछ भी कहें और कैसे भी तथ्य पेश करें लेकिन असलियत यही है कि वह इस मामले में शामिल थे और गूजर समुदाय की चार कन्याओं की पैदा होते ही हत्या करने का जिम्मा भी उन्हीं का है.

यह सभी जानते हैं कि राजस्थान सरकार दिवराला में रूप कंवर के सती होने का आरोप अभी मिटा नहीं पाई है और इस मामले में भी वह कुछ करने की बजाय मौन साधे हुए हैं. राजीव गांधी की सरकार लगातार महिलाओं के विकास खास तौर पर ग्रामीण महिलाओं के विकास की रट तो लगा रही हैं लेकिन इन सभी सामाजिक बुराईयों के खिलाफ कुछ करने के लिए तैयार नहीं है. बड़े जोर शोर से कहा जा रहा है कि संसद और विधान सभा में 30 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित को जायेंगी और उन्हें इक्कीसवीं सदी तक देश की मुख्य-धारा के साथ जोड़ा जायेगा लेकिन यहां राजस्थान में उसी कांग्रेस का विधायक शिशु कन्याओं की हत्या करके महिलाओं की हालत और भी बदतर बना रहा है.

राजस्थान और अन्य जगहों पर महिला संगठनों ने भी घटना की बुराई की है. इस तरह की ढकियानूसी विचारों को स्त्री पुरूषों में जड़ से खत्म करने के लिए लगातार एक अभियान भी चलाया है यह भी गौर करने की बात है कि राजस्थान में देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा सबसे कम साक्षर दर है.

राजा राममोहन राय महर्षि ज्योति फूले और अन्य समाज सुधारकों ने इस तरह की सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई थी उन्होंने सती प्रथा को दूर करने विधवा विवाह और महिलाओं को शिक्षित करने के लिए आंदोलन किये इसके लिए उन्होंने अपनी जान तक की परवाह नहीं की.

इस संसार को जानने से पहले ही बालिकाओं की हत्या के इस मामले ने महिलाओं की स्थिति पर एक बार फिर प्रश्न चिह्न लगा दिया है. शिशु हत्या हो या सती प्रथा, दहेज प्रथा हो या हरिजन महिलाओं का उत्पीड़न, कांग्रेस के इस बुर्जुवा सामन्ती समाज में इस तरह की घटनाओं का होना आम बात है. कांग्रेस शासक गण इन बुराइयों के खिलाफ सिर्फ भाषण बाजी करना ही जानते हैं इससे आगे कुछ नहीं.

मुजफ्फरपुर बलात्कार कांड के दोषियों को सजा दो

बिहार के मुजफ्फरपुर के कोल्हुया थाना के अन्तर्गत पैगम्बरपुर गांव में 28 दिसम्बर 1988 को पुलिस दमन और दरींदगी का नंगा नाच हुआ. रात के करीब 11-12 बजे पुलिस के जवानों ने अपनी-अपनी झोपड़ी में सोई दो गरीब हरिजन महिलाओं के साथ बर्बरतापूर्ण ढंग से बलात्कार किया तथा उनके पतियों को बहुत मारा-पीटा.

इन महिलाओं के घर-गांव की औरतों ने जब पुलिस का विरोध किया तब पुलिस ने इनके साथ अभद्र व्यवहार किया और धमकी दी कि अगर इस बात को उठाया गया तब वह उनके घरों में आग लगा देंगे और उन लोगों को जान से मार डालेंगे.

इस पुलिसी आतंक के बावजूद गरीब हरिजनों और गांव के लोगों ने इस मामले को उठाया. जब पुलिस दरींदगी के शिकार जीरवा और दौलतिया को पांच दिन बाद डॉक्टरी जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया तब इन्हें अस्पताल के अधिकारियों ने डरा-धमका कर भगा दिया साथ ही दोनों महिलाओं के खून लगे कपड़ों को भी अधिकारियों ने जब्त कर लिया.

इसके खिलाफ सी पी आइ(एम), सी पी आई तथा इसके साथी संगठनों और महिला संगठनों ने मिलकर संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया. समिति ने 6 जनवरी को मुजफ्फरपुर बन्द का आयोजन किया. बंद के दौरान विशाल जुलूस निकाल कर अपराधी पुलिस जवानों को सजा देने तथा पुलिस दमन की शिकार महिलाओं को न्याय देने की मांग की गई. इस दौरान पुलिस ने सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया तथा कई प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस ने मारपीट भी की.

इसके विरोध में 11 जनवरी को कल्याणी चौक पर महिला संगठनों ने धरना का आयोजना किया. इसमें सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया. धरने का नेतृत्व जनवादी महिला समिति की महासचिव का. सुधा बिन्दु मित्रा, अध्यक्ष का. रामपुकारी देवी तथा महिला मंच की का. मंजु सिन्हा ने किया. इस मौके पर भी पुलिस ने आयोजन में बाधा डालने का प्रयास किया.

महिलाओं का एक जत्था 12 जनवरी को पैगम्बरपुर गांव, असलियत का पता लगाने गया. संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वावधान में मुजफ्फरपुर में 13 जनवरी को विशाल मौन जुलूस निकाला गया जिसमें हजारों पुरुषों और महिलाओं ने भाग लिया. जुलूस शहर के विभिन्न भागों से गुजरता हुआ कचहरी पहुंचकर आम सभा में परिणत हो गया. सभा को सी पी आई(एम) के का. कृष्ण कांत सिंह, सी पी आई के का. चतुरानन मिश्र, जनवादी महिला समिति की का. सुधा बिन्दु मित्रा सहित अनेक नेताओं ने सम्बोधित किया.

संघर्ष समिति ने फैसला लिया कि जब तक कोल्हुया कांड के शिकार महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा और दोषी पुलिस जवानों को सजा नहीं मिलेगी तबतक संघर्ष जारी रखा जाएगा.

अर्मेनिया के विनाशकारी भूकम्प पर ए.आइ.डी.डब्ल्यू.ए. और ए.आइ.सी.सी.डब्ल्यू.डब्ल्यू. का संवेदना संदेश

अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की महासचिव सुशीला गोपालन और अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति की सचिव विमल रणदिवे ने अर्मेनिया में हाल में आए अभूतपूर्व विनाशकारी भूकम्प पर सोवियत महिला समिति के अध्यक्ष को निम्नलिखित टेलीग्राम भेज कर इस त्रासदी पर गहरा दुःख प्रकट किया.

"अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति और अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति, अर्मेनिया में आए अभूतपूर्व भूकम्प से हुई भयानक क्षति पर गहरा दुख प्रकट करती हैं, जिसमें लाखों लोग मौत की बलि चढ़ गए. हम आपके साथ गहरी सहानुभूति और एकजुटता का इजहार करते हैं."

औरतों के खिलाफ बढ़ते अपराध

दहेज हत्या की बढ़ती रफ्तार

पिछले साल देश में 1 जनवरी से 31 अक्तूबर के बीच दहेज हत्या के कुल 1390 मामले दर्ज हुए. उत्तर प्रदेश में दहेज हत्या के सबसे अधिक 584 मामले आए. यह जानकारी पिछले दिनों गृह राज्य मंत्री पी चिदंबरम ने राज्य सभा में दी.

एक लिखित सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि इस दौरान महाराष्ट्र में दहेज हत्या के 229 मामले, कर्नाटक में 145 मामले, प. बंगाल में (कलकत्ता शहर को छोड़कर) 83 मामले, आंध्र प्रदेश में 72 मामले तमिलनाडु में 59 मामले और पंजाब में 39 मामले दर्ज हुए. संघीय क्षेत्र में दिल्ली में सबसे अधिक 39 मामले दर्ज किए गये.

दिल्ली में औरतों के खिलाफ अपराध में बढ़ोतरी

पिछले चार साल के दौरान दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध के सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए. गृह राज्य मंत्री ने राज्य सभा को बताया कि 1985 में दिल्ली में औरतों के खिलाफ अपराध के 1,215 मामले, 1986 में 2260, 1987 में 2,555 मामले दर्ज किए गये.

गृह राज्य मंत्री ने यह भी बताया कि डी टी सी की बसों में लड़कियों से छेड़-छाड़ के मामले पिछले दो-तीन महीनों के दौरान बढ़ गए हैं.

नारी भ्रूण हत्या में गुजरात पहले स्थान पर

गुजरात में पिछले वर्ष कुल 41,000 नारी भ्रूण की हत्या की गई. इस राज्य में 250 से 300 के औसत से रोजाना भ्रूण परीक्षण होते हैं. भ्रूण परीक्षण के लगभग आधे मामले में नारी भ्रूण होने की स्थिति में गर्भपात करवा दिया जाता है. एक अनुमान के अनुसार केवल पिछले साल भ्रूण परीक्षण की संख्या 1,08,000 तक पहुंच गई. यह निश्चित तौर पर खतरनाक स्थिति के संकेत हैं.

राज्य की राजधानी अहमदाबाद भ्रूण परीक्षण और नारी भ्रूण हत्या में सबसे आगे है. यहां गत साल 35,000 भ्रूण परीक्षण हुए जिनमें 18,000 नारी भ्रूण की हत्या की गई.

ये आंकड़े राजधानी स्थित भ्रूण परीक्षण के खिलाफ फोरम (फोरम अगेंस्ट सेक्स डिटरमिनेशन) द्वारा हाल में किए गए सर्वेक्षण के नतीजे की पुष्टि करते हैं. यह फोरम महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार के खिलाफ संघर्ष कर रहा है.

मध्य प्रदेश भी पीछे नहीं

भारत के नक्शे पर बीचों-बीच में बसा, क्षेत्र फल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश जिसे भारत का हृदय स्थल कहा जाता है न केवल भोपाल गैस कांड, और चुरहट लाटरी कांड, अंतुले प्रकरण जैसी सत्ता के कांग्रेसी (इ) दलालों के भ्रष्टाचार और अत्याचार के कारनामों के लिए बल्कि सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन, सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वास के लिए भी बदनाम है.

इस सामाजिक कुरीति में एक है दहेज हत्या. इस राज्य में हरेक दूसरे दिन एक दहेज हत्या होती है. दहेज कुप्रथा ने पिछले दो वर्षों के दौरान 400 महिलाओं की जान ली. यह सुरचित और सुनियोजित सरकारी आंकड़ों के बयान हैं.

दहेज हत्या में हत्या और आत्म हत्या दोनों शामिल हैं. दहेज हत्या के मामले में पांच सौ सास-ससुर, पतियों और सालियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. अधिकांश मामलों में नववधुओं को या तो मिट्टी का तेल छिड़ककर या अपने शरीर में आग लगाकर आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया.

सूत्रों के मुताबिक राज्य में वर्ष 1987 और 1988 के दौरान दहेज हत्या के कुल 1500 मामले दर्ज किए गए. इसके अलावा इस दौरान दहेज हत्या के प्रयास (शेष पृष्ठ 21 पर)

कामकाजी महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थितियां

जब से महिलाएं घर की दहलीज को लांघकर रोजगार के क्षेत्र में आई हैं तब से उनके प्रति हरेक मामलों में, खासकर वेतन के मामले मे पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाया जाता है. यह भेदभाव दरअसल महिलाओं का रोजगार के प्रति उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण के कारण है. चूंकि परिवार में कामकाजी महिलाओं की आमदनी को अतिरिक्त आमदनी समझा जाता है, उनकी आमदनी को गंभीरता से नहीं लिया जाता है. इस कारण महिलाएं कम वेतन पर भी काम करने को तैयार हो जाती हैं. मालिकान इस स्थिति का पूरा-पूरा फायदा उठाकर महिला मजदूरों का भरपूर आर्थिक शोषण करते हैं. इन मालिकानों ने यह पूर्वधारणा बना रखी है कि महिला मजदूर, पुरुष के समान कार्यकुशल नहीं हैं. यहांतक कि सरकारी एजेंसियां महिला मजदूरों के वेतन की सिफारिश करते समय कभी-कभी इसी पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण के शिकार हो जाती हैं. मिसाल के तौर पर 1948 में बनी "उचित वेतन समिति" का कहना था, जब महिला मजदूरों को महिलाओं के बिल्कुल अनुकूल कामों पर नियुक्त किया जाए अथवा जब उन्हें पुरुष कामगारों से कम कार्यकुशल समझ नियुक्त किया जाए तब महिला मजदूरों का वेतन समान पारिवारिक मापदण्ड के पुरुष-कामगारों की तुलना में कम तय किया जाना चाहिए." यहां तक कि 60 के दशक में बना "न्यूनतम मजदूरी कानून 1948" के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा महिला मजदूरों का वेतन निर्धारित किए जाने के समय अनेक मामलों में एक जैसा पद पर नियुक्त महिला कामगारों का वेतन अपने पुरुष सहकर्मी के वेतन से कम निर्धारण किया गया. हालांकि इसके बाद पुरुष और महिला कामगारों के लिए समान वेतन की अवधारणा प्रबल होती गई और महिला एवं पुरुष कामगारों को एकसमान न्यूनम वेतन निर्धारण किया जाने लगा अब इस कानून के अन्तर्गत महिला और पुरुष कामगारों के वेतन के बीच कोई फर्क नहीं किया जाता है. इसके बाद समान वेतन कानून के क्रियान्वयन से पुरुष और महिला कामगारों में वेतन के दरार को और कम करने में सहायता मिली. इसके बावजूद एक ही कारखाने में एक ही पद पर नियुक्त महिला और पुरुष मजदूरों के वेतन वृद्धि की दर समान नहीं है. अनेक उद्योगों में महिला मजदूरों के वेतन वृद्धि की दर सहकर्मी पुरुष के वेतन वृद्धि की दर से कम है. इसका कारण यह है कि किसी उद्योग के कम मजदूरी वाले कामों में मुख्यतः महिला कामगार ही जुड़ी हैं तथा इन कामों में रोजगार ढूंढ़ने वाली महिलाओं की संख्या पुरुष कामगारों की तुलना में रोजगार की क्षमता से बहुत अधिक है. फलस्वरूप महिला कामगारों के औसत वेतन-वृद्धि की दर में कमी आ जाती है.

समान वेतन कानून 1976

दरअसल संविधान में निहित राज्य नीति के दिशा-निर्देशक सिद्धांतों में निर्देश दिया गया है कि राज्य को समान काम के लिए औरतों या पुरुषों को बराबर वेतन सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन से सम्बद्ध, इस सिद्धांत को भारत ने सितम्बर 1958 में मान्यता प्रदान की. हालांकि इस सिद्धांत के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कार्यवाही 26 सितम्बर 1976 में हुई जब भारत के राष्ट्रपति ने समान वेतन अध्यादेश जारी किया. इसके बाद यह अध्यादेश समान वेतन कानून 1976 के नाम से संसद से 11 फरवरी 1976 को पारित हुआ. इस कानून से समान किस्म के समान काम करने के लिए पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन देने की जिम्मेदारी मालिकों पर डाली गई यह कानून महिला श्रमिकों को नियुक्त करने और रोजगार के मामले में भेदभाव से रक्षा करता है. इस कानून के जरिए महिलाओं को समान प्रकृति के समान काम के लिए वेतन देने या रोजगार पर महिलाओं की नियुक्ति के सम्बन्ध में महिला श्रमिकों के प्रति पक्षपात-पूर्ण रवैया अख्तियार करने वाले मालिकों के खिलाफ

5,000 रु. तक जुर्माना का प्रावधान किया गया. इस कानून को लगभग तमाम रोजगारों में लागू किया गया परन्तु इसका क्रियान्वयन पूर्णत: प्रभावी ढंग से नहीं हो पाता है. इसका कारण यह है कि इस कानून में ही अनेक खामियां हैं. दूसरे अनेक मालिकान इस कानून को लागू करना नहीं चाहते. मालिकों को यह बहाना बना कर कि महिलाओं द्वारा निबटाये गए काम पुरुषों के द्वारा निबटाये गए काम के बराबर नहीं है, इस कानून का उल्लंघन करने की खुली छूट दे दी गई है.

मिसाल के तौर पर पत्थर ढोने के काम में लगी महिला कुलियों को उसी काम में लगे सहकर्मी पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलता है. इस धंधे मे महिला मजदूरों को रोजाना 8 से 15 रु. मिलता है जबकि पुरुष को रोजाना 10 से 20 रु. मिलते हैं. इस तरह महिला मजदूरों का रोजाना वेतन पुरुष सहकर्मियों से 6 से 60 प्रतिशत कम है. उदाहरण के लिए पुरुष श्रमिकों को टूटे हुए पत्थरों को टोकरी में भरने तथा भरी हुई टोकरी को पत्थर ढोने वाली महिला मजदूरों के सर पर रखने में महिला मजदूरों की मदद करनी होती है जबकि महिला मजदूरों को पत्थरों से भरी भारी टोकरियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है. इस तरह महिला मजदूरों द्वारा निपटाये जाने वाले काम पुरुष मजदूरों के काम से ज्यादा मुश्किल तथा श्रमसाध्य होते हैं, इसके बावजूद मालिकान महिला मजदूरों को कम वेतन देते हैं. साफ है कि मालिकान झूठा दावा कर कि महिला मजदूरों द्वारा निबटाए जाने वाले काम पुरुष मजदूरों द्वारा निबटाए जाने वाले काम के बराबर नहीं है, मालिकान समान वेतन कानून का खुल्लमखुला उल्लंघन करते हैं. इसी तरह अध्ययन के लिए चुने एक-दूसरे ईंट-भट्टा और एक टाइल फैक्ट्री में भी महिला मजदूरों को पुरुष मजदूरों से कम मजदूरी दिया जाता है.

—संभार इंडियन लेबर जरनल

का. पापा उमानाथ एवं अन्यों को बधाई

कामकाजी महिला का. पापा उमानाथ को हाल में संपन्न तमिलनाडु विधान सभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के लिए हार्दिक बधाई देती है. इस चुनाव के नतीजे देश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए निर्णायक समझे जा सकते हैं. इस चुनाव में द्रविड़ मुन्नेत्र कषघम (द्रमुक) के साथ साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के 15 कामरेडों ने कांग्रेस (इ) को शर्मनाक शिकस्त दी, जबकि कांग्रेस (इ) ने इस चुनाव में अपनी जीत का दावा किया था. कांग्रेस (इ) ने इस चुनाव के लिए कितने हाथ पैर मारे यह प्रधान मंत्री राजीव गांधी के एक के बाद एक तमिलनाडु के चुनावी दौरों से साफ जाहिर होता है. प्रधान मंत्री ने तमिलनाडु के मतदाताओं को फुसलाने के लिए वादे पे वादे किए. लेकिन तमिलनाडु की जागरूक जनता ने भ्रष्ट तथा जन-विरोधी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक नीतियों को संरक्षण देने वाली कांग्रेस (इ) शासक का मुकम्मल बहिष्कार कर अपनी परिपक्वता का परिचय दिया.

का. उमानाथ न केवल महिला अधिकारों बल्कि तमिलनाडु की आम जनता के लिए संघर्ष करती रही है. उन्होंने बहुत ही कम उम्र में गोल्डन रॉक में रेल कर्मियों के साथ ट्रेड यूनियन आंदोलन में काम के दौरान राजनीति में आईं. उन्हें ब्रिटिश शासन काल में गिरफ्तार किया गया. उन्होंने सम्पूर्ण जीवन को कामगारों के लिए आंदोलन चलाने और महिलाओं के शोषण के खिलाफ संघर्ष करने में लगाया.

का. पापा अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की कार्यकारी सदस्य और सी पी आइ (एम) की शाखा समिति की सदस्य रही है. अब वह तमिलनाडु विधान सभा में स्वर देंगी.

तमिलनाडु विधान सभा मे कांग्रेस (इ) की शर्मनाक हार दरअसल राजीव गांधी की पराजय है जिसने अगले आमसभा चुनाव में उनकी हार को पक्का कर दिया.

उड़ान के समय सीनियर विमान परिचारिकाएं जूनियर हो जाती हैं ?

सांसद का. सुकोमल सेन ने 1 अगस्त 88 को राज्य सभा में विमान परिचारिकाओं के साथ भेदभाव का मामला उठाया और राज्य सभा उपाध्यक्ष से पूछा कि हम 21वीं सदी की ओर जा रहे हैं या कि सामंती बर्बरता के युग में. अपने भाषण में उन्होंने कहा, "मैडम एयर इण्डिया के प्रबंधक बहुत लम्बे अर्से से विमान परिचारिकाओं के साथ भेदभाव का रवैया अख्तियार किए हुए है. पहला मुद्दा तो यह है कि एयर इंडिया विमान परिचारिकाओं को 35 साल की उम्र में ही रिटायर कर देती है. लेकिन सालाना स्वास्थ्य परीक्षण के आधार पर यह अवधि बढ़ा कर 45 वर्ष भी की जा सकती है—यदि विमान परिचारिकाएं काम करना चाहती हों. यहां तक कि जापान और यूरोप के देशों में एयर इंडिया की तरह महिला और पुरुष कर्मचारियों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता. इस कारण से एयर इण्यिा प्रबंधकों को जापान अथवा यूरोप की विमान परिचारिकाओं के साथ भेदभाव करने की इजाजत नहीं दी जाती. इस कारण एयर इंडिया में कार्यरत जापान अथवा यूरोप के देशों की विमान परिचारिकाओं को एयर इण्डिया उन्हें 35 वर्ष की आयु में रिटायर नहीं कर सकता. उन्हें 58 या 60 साल की उम्र में ही रिटायर किया जा सकता है."

"मैडम, एयर इंडिया के विमान परिचारिकाएं अपने साथ हो रहे इस भेदभाव के खिलाफ उच्चतम न्यायालय तक गईं. उच्चतम न्यायालय ने भी कहा कि यह भेदभाव न्यायोचित नहीं है और इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती. तब एयर इण्डिया के प्रबंधकों ने जो तरीका ढूंढ़ा वह बिल्कुल चौकाने वाला था. एयर इण्डिया के प्रबधकों की दलील थी कि यूरोप के देशों के साथ साथ जापान में विमान परिचारिकाओं को अब विमान पर काम नहीं दिया जाता. उन्हें हवाई अड्डों पर काम करने के बदले वेतन दिया जाता है. यह मामले का पहला पक्ष है."

"मैडम, जैसा कि आपको मालूम है कि इस मुद्दे का दूसरा पहलू भी है. एयर इण्डिया में विमान पर काम करने वाले पुरुष सहायक भी हैं किन्तु उन्हें एयर इण्डिया के अन्य कर्मचारियों की तरह चालू रिटायरमेंट की आयु पर ही रिटायर किया जा सकता है."

"मैडम, उड़ान कक्ष (फ्लाइट केबिन) में विमान परिचारिकाएं और पुरुष सहायक बिल्कुल अलग-अलग काम करते हैं. उनकी पदोन्नति के नियम भी अलग-अलग हैं. मिसाल के तौर पर विमान परिचारिकाएं जब उड़ान पर नहीं होती हैं (ग्राउंड पर) तब वह पुरुष सहायक से वरिष्ठ मानी जाती है और वह पुरुष सहकर्मी को उड़ान पर के कामों का निर्देश देती है, लेकिन जब वही विमान परिचारिका और पुरुष सहायक उड़ान पर होते है तब विमान परिचारिका अपने पुरुष सहकर्मी से, जो कि उड़ान के पहले उससे काफी जूनियर था, बहुत जूनियर हो जाती है. एयर इण्डिया के प्रबंधक इस भेदभाव की प्रक्रिया को चलाते रहे हैं. प्रबधक का मानना है कि महिलाएं केवल औरत होती हैं वे सीनियर हैं या जूनियर यह सवाल कोई मायने नहीं रखता. सीनियर भी अपने सहायक की जूनियर हो जाती है. यह भेदभाव लिंग के आधार पर किया जाता है."

"मैडम, क्या हम रूढ़ीवादी युग में जी रहे हैं या किसी सभ्य और आधुनिक सरकार के शासन काल में ? कोई भी सभ्य सरकार क्या इस तरह के रूढ़ीवादी भेदभाव अख्तियार कर सकती है? मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार भेदभाव की तमाम नीतियों को निरस्त करे जिसे पहले ही पश्चिमी देशों में मिटा दिया जा चुका है.

दिल्ली के 7 दिन की हड़ताल में कामकाजी महिलाओं की भूमिका

दिल्ली और गाजियाबाद के प्राइवेट उद्योगों में काम करने वाले 13 लाख मजदूर 1050 रु. न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर 22 से 28 नवम्बर तक 7 दिन तक की ऐतिहासिक हड़ताल में भाग लिया. इनकी 6 सूत्री मांगों में मुख्य मांग न्यूनतम वेतन 1050 रु. के अलावा महिला मजदूरों के लिए शिशु पालन गृह सुविधा और मजदूरों के खिलाफ पुलिस दमन बन्द करने की मांग भी शामिल थे. इस 7 दिन की हड़ताल के दौरान जनवादी महिला समिति की सात महिला कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल में तीन दिन बन्द रखा गया. इसमें से दो महिलाओं के दूध पीते बच्चे हैं लेकिन ये महिलाएं हड़ताल के प्रति इस कदर समर्पित थीं कि उन्होंने अपने प्यारे बच्चों का ख्याल करने की बजाय जनवाद तथा मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए चलाए गए हड़ताल में कूद पड़ना उचित समझा.

हड़ताल के प्रति मजदूरों में ऐसी प्रतिबद्धता की पैदाइस उस अभियान के दौरान हुई थी जिसे फैक्ट्रियों से लेकर घरों तक फैलाया गया था. बस्तियों की महिलाएं बेहतर और स्वच्छ आवास की मांग के प्रति अधिक ही आकर्षित हुई. इसका कारण है कि उनके पास रहने लायक आवास नहीं है. इस हड़ताल के प्रति अधिक लगाव दिखाने का कारण भी स्पष्ट है. क्योंकि मूल्य वृद्धि और पुलिस दमन की पहली शिकार महिलाएं ही बनती है. महिला मजदूरों ने बड़ी संख्या में इस अभियान में शामिल होकर अपने मजदूर भाइयों से हड़ताल में भाग लेने का अनुरोध किया. महिला मजदूरों ने समूचे औद्योगिक इलाकों में प्रदर्शनों की अगुआई की, नारे बुलंद किए. सीटू के झंडे उठाये इन महिला प्रदर्शनकारियों के पीछे जोश खरोश के साथ नारे लगाते उत्साही मजदूरों का विशाल जत्था चल रहा था.

इस अभियान के दौरान सीटू, जनवादी महिला समिति और भारत की जनवादी नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने 292 नुक्कड़ सभाएं आयोजित किए और 1500 पर्चे बांटे. कामकाजी महिला समन्वय समिति ने महिला मजदूरों के लिए शिशु पालन गृह की मांग को लेकर अभियान चलाया, हड़ताल के लिए चन्दे इकट्ठे किए, 5,000 पर्चियां बांटी और 5,000 बैज बेचे.

22 नवम्बर के बाद महिला मजदूरों ने 8 से 40 महिलाओं की टोलियां बनाकर हड़ताली मजदूरों के प्रदर्शनों में भाग लिया. हरेक जगह पुलिस ने मजदूरों को उकसाने की कोशिश की परन्तु महिलाओं ने पुलिस की इन कारगुजारियों को साहसपूर्ण ढंग से असफल कर दिया. इन महिलाओं के कारण मजदूर और पुलिस के बीच मारपीट की नौबत नहीं आ पाई. हड़ताल के दौरान 12 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया.

जब प्रदर्शन कर रहे मजदूर फैक्ट्रियों से लगे झुग्गी-झोपड़ियों की गलियों से गुजरते तब महिला मजदूर हड़ताल के मुद्दे पर तैयार गीत गातीं. उधर युवा मजदूर कई किलोमीटर के मार्च जुलूस में शामिल होते—उनके पैर बढ़ते जाते—लेकिन कभी न रूको बढ़ते भी चलो, कहते भी चलो सर भी हैं बहुत बाजू भी बहुत...चलते भी चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे—के उत्साह से भरे मजदूरों का पैर उठता और उनकी बंद मुट्ठियां हवा में लहराती—सत्ता को चुनौती देते हुए बढ़ते ही चले.

प्रबन्धकों ने पुलिस की सहायता से अनेक मजदूरों को जबर्दस्ती फैक्ट्री में घेरे रखा था जब कि ये मजदूर हड़ताल में शामिल होने की जिद् पर थे. एक मजदूर का कहना था, "कि जब हमारी बहनें हड़ताल में हिस्सा ले सकती है तो हम काम करना क्यों बन्द नहीं कर सकते. महिला मजदूरों की प्रेरणा 7 दिन की तारीखी हड़ताल का महत्वपूर्ण हिस्सा है. क्योंकि जब महिला मजदूर ने मजदूरों की मांगों को समझ लिया तब पुरुष कामगार अपने संघर्ष में अत्यंत दृढ़ हो गए और हड़ताल को शत-प्रतिशत सफल कराकर ही दम लिया.

जातिवाद मिटाने का कांग्रेसी (इ) तरीका

अब यह बात जाहिर हो चुकी है कि कांग्रेस (इ) शासन व्यवस्था उस शासन व्यवस्था का नाम है जो गरीबी मिटाने के नाम पर गरीबों को, शोषण मिटाने के नाम पर शोषितों को, जातिवाद जैसी सामाजिक बुराइयों को मिटाने के नाम पर इन बुराइयों के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोगों को मिटाती है. बिहार के खिलानन्द झा की दुखद किन्तु संघर्षपूर्ण दास्तान कांग्रेस (इ) शासन व्यवस्था की इसी सच्चाई की पोल खोलती है.

बिहार के मधुबनी जिला के ब्राह्मण परिवार में जन्मा खिलानन्द झा दरभंगा के क्षेत्रीय आयुक्त के कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी था. जिसने सन 1979 में एक हरिजन महिला से विवाह कर जातिवाद पर कड़ा प्रहार किया. निश्चित तौर पर वह, जैसा कि सरकार का अन्तर्जातीय विवाह क़ानून कहता है, विशेष सरकारी मदद का पात्र था. लेकिन कांग्रेसी (इ) शासन ने 1984 में उसे नौकरी से नाटकीय ढंग से बर्खास्त कर दिया. इस मनगढ़न्त आधार पर कि वह कार्यालय से गैरहाजिर रहता था. उसने अपनी नौकरी पाने के लिए काफी प्रयास किया. लेकिन कांग्रेस (इ) शासित बिहार में उसका प्रयास मजाक बन कर रह गया.

न्याय की गुहार करता वह दिल्ली आया और राजधानी के बोट क्लब में धरना देना शुरू किया. उसने बिहार में मुख्य मंत्री से लेकर प्रधान मंत्री तक न्याय की फरियाद की. लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकाम हो गई. यही नहीं कुछ दिन बाद पुलिस आई और उसे तथा उसके परिवार को वहां से खदेड़ दिया. लाचार होकर उसे तुगलक रोड पुलिस स्टेशन के निकट के बस स्टाप पर कई रातें ठन्ड में सिकुड़ते-कांपते बितानी पड़ी. पुलिस नहीं चाहती थी कि खिलानन्द झा और उसका परिवार बोट क्लब के आसपास दिखाई पड़े. क्योंकि वहां से गणतन्त्र दिवस के अवसर पर परेड गुजरता है. इस स्थिति में उसकी मौजूदगी कांग्रेस (इ) शासन व्यवस्था के लिए खतरनाक हो सकती है. क्योंकि खिलानन्द झा की आवाज इस परेड में शामिल सैकड़ों विदेशी प्रतिनिधियों, विदेशी और देशी पत्रकारों सहित हजारों लोगों के कानों में पड़ेगी.

यही नहीं पुलिस खिलानन्द झा और उसके परिवार को हर महत्वपूर्ण अवसर पर परेशान करती है. पिछले समय गोर्बाचेव के भारत आगमन के समय भी उसे तथा उसके परिवार को बोट क्लब से हटा दिया गया.

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद श्री सैफुद्दीन चौधरी के निवास स्थान पर उसने पत्रकारों को बताया कि वह पिछले गणतंत्र दिवस के एक दिन बाद धरना पर बैठा. वह 25 नवंबर तक आमरण अनशन पर बैठा रहा. उसने बताया कि पुलिस उसका अनशन तोड़ने का लगातार प्रयास करती रही. कभी-कभी पुलिस बिहार सरकार के कुछ अधिकारियों को लेकर आती और एक झूठे कागज पर दस्तखत करने को मजबूर करती, जिस पर यह लिखा होता कि श्री खिलानंद झा ने मुआवजा और बोनस के तौर पर 5,000 रु. प्राप्त कर लिया है. लेकिन वह हर बार इस पर दस्तखत करने से इंकार करता रहा.

झा राजधानी में पहली बार अक्तूबर 1985 में आया. उसने 13 दिन तक आमरण अनशन किया. इसका असर यह हुआ कि सर्वश्री जगजीवन राम, अटलबिहारी वाजपेयी, चन्द्रशेखर सहित अनेक विपक्षी नेता उसके पास गये. साथ ही बिहार के मुख्य मंत्री बिंदेश्वरी दुबे ने भी उसके निकट जाकर आश्वासन दिया कि बकाया वेतन के पूर्ण भुगतान और बोनस के साथ उसे नौकरी पर वापस लिया जायेगा. इसके बाद खिलानन्द झा पटना जाकर जनता दरबार में हाजिर होकर मुख्य मंत्री को उसके वादे का स्मरण दिलाया. श्री बिंदेश्वरी दुबे ने अपने सचिव को खिलानन्द झा के मामले को देखने का निर्देश दिया. झा ने मुख्य मंत्री के सुझाव पर दरभंगा अपने कार्यालय में आया. वहां उसे बताया गया कि उसे सहरसा स्थानांतरित कर दिया गया है. सहरसा के कार्यालय में आने पर उसे बताया गया कि उसके संबंध में

(शेष पृष्ठ 23 पर)

भारत की जनवादी नौजवान सभा द्वारा युवा महिला सम्मेलन आयोजित

युवा महिलाओं का सम्मेलन बम्बई में भांडुप सीटू शाखा के संघर्ष सभागार में 18 दिसम्बर 1988 को हुआ. तथ्य यह है कि जब तक नौजवानों के महत्वपूर्ण तबकों—युवा महिलाओं और लड़कियों को भारत की जनवादी नौजवान सभा में प्रभावशाली ढंग से सुदृढ नहीं बनाया जा सकता है और इस कारण युवा महिलाओं को उनकी खास मांगों को लेकर मुख्य धारा में शामिल करना होगा.

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए दस महिलाओं की एक समिति गठित की गई जिसकी संयोजिका का. नलीनी नेवेरेकर को बनाया गया. सम्मेलन के लिए परिपक्व माहौल तैयार करने के लिए अनेक बैठकों का आयोजन किया गया तथा बड़ी संख्या में पर्चे बांटे गये.

भा.ज.नौ. सभा की सबसे युवा सदस्या पुष्पा डेविड ने झंडा फहराया. सचिव का. प्रमोद नवालकर ने अतिथियों तथा प्रतिनिधियों को धन्यवाद ज्ञापन किया. इस अवसर पर मुख्य अथिति अहिल्या रांगनेकर ने कहा कि कांग्रेस(इ) की वर्तमान शासन व्यवस्था में औरतों लड़कियों को काम-वासना का प्रतीक बना दिया गया है. उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए रोजगार पर प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है. उन्हें समान वेतन के अधिकार से बंचित किया जा रहा है तथा महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार रोजाना की घटना बन गई है. महिलाओं से सम्बन्धित कानूनों की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि ये कानून महिलाओं की रक्षा करने में असमर्थ हैं. उन्होंने अपने भाषण के अन्त में कहा कि यदि हम असमानता से मुक्ति पाना चाहते हैं तो हमें हर हालत में वर्तमान सरकार की नीतियों को शिकस्त देना होगा. उन्होंने जातिवाद, रूढ़ीवाद आदि के खिलाफ संघर्ष करने की आवश्यकता पर भी बल दिया क्योंकि कोई भी धर्म न तो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है न ही उनकी प्रगति का रास्ता प्रशस्त करता है. उन्होंने युवा महिलाओं से आंदोलन की मुख्य धारा से जुड़ने का आह्वान किया ताकि उनकी खास समस्याओं का समाधान हो सके."

सम्मेलन में प्रतिनिधियों के समक्ष का. नलीनी नोवेरकर ने मुख्य प्रस्ताव रखा जिसका समर्थन लोखा रंजीत, लता पाटेकर, कल्पना पिनपाले, शारनी और अन्य कामरेडों ने किया.

सम्मेलन में 120 महिलाओं और 40 पुरुषों ने भाग लिया. इसमें 15 जनवरी तक मांग सप्ताह मनाने का फैसला लिया गया. युवा महिलाओं की समस्या पर उनके बाच काम करने के लिए 12 युवा महिलाओं की समिति गठित की गई.

दुर्गापुर इस्पात नगर में युवा महिलाओं का सम्मेलन

युवा महिलाओं की भागीदारी से युवा आंदोलन नए आयाम ग्रहण कर रहा है. दुर्गापुर इस्पात नगर की भारत की जनवादी नौजवान सभा इकाई ने हाल ही में युवा महिलाओं का शानदार सम्मेलन का आयोजन किया. इसमें देश के विभिन्न इस्पात नगरों से 250 प्रतिनिधियों ने भाग लिया. सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित कर युवा आंदोलन में युवा महिलाओं को बड़ी संख्या में शामिल करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा गया कि इससे दूसरे जनवादी आंदोलन को नई गति मिलेगी. इस संदर्भ में यह बात जिक्र के काबिल है कि इस इस्पात नगर की कामकाजी महिलाओं ने इस सम्मेलन के आयोजन में काफी रुचि दिखाई.

पढ़ें

कामकाजी महिला

(हिन्दी द्विमासिक पत्रिका)

कीमत : एक प्रति — 1 रुपए
वार्षिक चंदा : 6 रुपए
अपने प्रतियों के लिए हमें लिखें :

सी आई टी यू 6, ताल कटोरा रोड
नई दिल्ली-110001.

चीन में महिला मजदूरों के लिए श्रम संरक्षण कानून

चीन के राज्य परिषद् के प्रमुख ली पेंग ने 'महिला मजदूरों और कार्यालय कर्मचारियों के श्रम संरक्षण कानून' को अपने हस्ताक्षर सहित जारी किया. यह कानून 1 सितम्बर 1988 से लागू हो गया. यह महिला मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने वाला पहला व्यापक कानून है.

नये चीन की स्थापना के बाद के 30 वर्षों के दौरान अनेक नियमों और विनियमों द्वारा औरतों और बच्चों के संरक्षण का प्रावधान किया गया. परन्तु महिला मजदूरों के संरक्षण के लिए व्यापक कानून व्यवस्था नहीं होने की वजह से इस सम्बन्ध में अनेक समस्याएं पैदा हो गई. उदाहरण के तौर पर कुछ व्यावसायी बिना किसी कारण के महिला मजदूरों को भर्ती करने में हिचकिचाते हैं. महिला मजदूरों को वैसा काम देते हैं जिसे पुरुष कामगारों को दिया जाना चाहिए था, गर्भावस्था और संतान को स्तनपान कराने की अवधि के दौरान महिला मजदूरों से कड़े काम लिए जाते हैं. ऐसे काम उनके स्वास्थ्य पर हानिकारक असर डालते हैं. साथ ही इन महिला मजदूरों को आवश्यक पौष्टिक आहार जैसी सुविधा भी मुहैय्या नहीं कराई जाती.

महिला मजदूरों की हितों और उनके न्यायिक अधिकारों की रक्षा करने, उनकी शारीरिक बनावट के कारण काम करने के दौरान उत्पन्न होने वाली खास कठिनाइयों को दूर करने, उनके स्वास्थ्य को बचाने के लिए बने इस व्यापक कानून के निर्माण ने ऑल चाइना ट्रेड यूनियन फेडरेशन ने भी अपना योगदान दिया.

इस कानून में यह प्रावधान किया गया है कि महिला मजदूरों के अनुकूल श्रम वाले इकाइयों में महिला मजदूरों की भर्ती की जाएगी. किसी भी श्रम इकाई को गर्भावस्था, प्रसव काल और स्वास्थ्य लाभ के दौरान महिला मजदूरों की मजदूरी न तो बन्द करनी होगी न ही उसमें कटौती.

इस नियम के द्वारा यह भी प्रावधान किया गया है कि महिला मजदूरों के प्रतिकूल नौकरियों जैसे भूमिगत खानों में नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए इस कानून के अनुसार महिलाओं को माहवारी के दौरान जमीन से ऊंचाई पर, कम तापमान वाले जगह में, ठंडे पानी में तथा राज्य द्वारा अनुशासित श्रम आधारित तृतीय श्रेणी के काम की जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए. गर्भवती माताओं से उनके स्वास्थ्य के प्रतिकूल काम नहीं ली जानी चाहिए, न ही उनसे सामान्य कार्य अवधि से अधिक काम ली जानी चाहिए. गर्भवती माताओं से, जो सौंपे गए काम करने में असमर्थ हैं. हल्के-फुल्के काम ली जानी चाहिए अथवा उन्हें दूसरी अनुकूल नौकरियों में बहाल किया जाना चाहिए.

इसके अलावा इस नियम के द्वारा महिला मजदूरों को ९० दिन की मातृत्व लाभ अवकाश दिया गया है. साथ ही अपने संतान को स्तनपान कराने वाली माताओं अथवा एक साल से छोटे संतान की माताओं के मामले पर उचित विचार करके उन्हें अवकाश सहित दूसरी सुविधाएं दी जा सकती है.

फार्म IV

1. प्रकाशन का स्थान	—	6, तालकटोरा रोड़, नई दिल्ली-110001
2. प्रकाशन की अवधि	—	द्विमासिक
3. मुद्रक का नाम	—	बिमला रणदिवे
क्या भारतीय नागरिक है ?	—	हां
पता	—	6, तालकटोरा रोड़, नई दिल्ली-110001
4. प्रकाशक का नाम	—	बिमला रणदिवे
क्या भारतीय नागरिक है ?	—	हां
पता	—	6, तालकटोरा रोड़, नई दिल्ली-110001
5. संपादक का नाम	—	बिमला रणदिवे
क्या भारतीय नागरिक है ?	—	हां
पता	—	6, तालकटोरा रोड़, नई दिल्ली-110001
6. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हैं तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हैं	—	सेंटर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन, 6, तालकटोरा रोड़, नई दिल्ली-110001

मैं, बिमला रणदिवे एतद् द्वारा घोषित करती हू कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सही है.

हस्ता./-
बिमला रणदिवे, प्रकाशक

दिनांक—15-2-1989

अहमदाबाद में कामकाजी महिलाओं का दूसरा सम्मेलन

कामकाजी महिलाओं का दूसरा सम्मेल 4 दिसम्बर को अहमदाबाद में सम्पन्न हुआ. इससे पहले सीटू की अहमदाबाद जिला समिति के तत्वावधान में 4 दिसम्बर 1987 को कामकाजी महिलाओं का पहला सम्मेलन हुआ था जिसमें पांच सदस्यीय कामकाजी महिला समन्वय समिति का गठन हुआ था. समिति ने अपने 20 अक्टूबर 1988 की बैठक में अहमदाबाद सम्मेलन का फैसला लिया.

फैसले के मुताबिक एक तैयारी समिति गठित की गयी. समिति ने विभिन्न मजदूर वर्ग क्षेत्रों में 17 सामूहिक बैठकें की. सतीश परमार ने समिति के कार्य का निर्देशन किया. उन्हें कामकाजी महिला प्रशासनिक समिति का कार्य प्रभारी बनाया गया था. सामूहिक बैठकों में करीब 300 कामकाजी महिलाओं ने भाग लिया.

सम्मेलन में करीब 250 कामकाजी महिलाओं ने भाग लिया. इसमें करीब 100 महिलाओं के पतिओं ने भी हिस्सा लिया. सम्मेलन का उद्घाटन अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति की सचिव बिमल रणदिवे ने किया. सम्मेलन की अध्यक्षता का. रेवाबेन ने की. सबसे पहले देश की एकता और अखण्डता के लिए लड़ते हुए अलगाववादी और फूटपरस्त ताकतों के हाथों मारे जाने वाले पंजाब, त्रिपुरा और प. बंगाल के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

सतीश परमार के स्वागत भाषण के बाद बिमल रणदिवे ने उद्घाटन भाषण दिया. उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में चल रहे कामकाजी महिलाओं के आन्दोलनों का जिक्र करते हुए सीटू द्वारा चलाये गए आंदोलनों में शामिल होने के लिए अहमदाबाद और गुजरात की कामकाजी महिलाओं को बधाई दिया. उन्होंने कहा कि महिलाओं की आजादी का सवाल वर्ग संघर्ष से जुड़ा है. कामकाजी महिलाओं की अलग और खास समस्याएं हैं. इनके समाधान के लिए उन्हें आगे आना होगा, ट्रेड यूनियनों के अन्तर्गत संगठित होना होगा तथा तमाम ट्रेड यूनियन आंदोलनों में हिस्सा लेना होगा. उन्होंने ट्रेड यूनियन के नेताओं से महिलाओं की विशिष्ट समस्याओं पर गम्भीरता से ध्यान देने की अपील की और कहा कि वे केवल इनके मसले को ही न उठाएं बल्कि समान ट्रेड यूनियन में भाग लेने के लिए कामकाजी महिलाओं को लामबंद करें तथा उन्हें यूनियनों में जिम्मेदारीपूर्ण हैसियत प्रदान करें.

उन्होंने कहा कि महिलाएं मजदूर वर्ग का बड़ा हिस्सा है और उनकी सक्रिय भागीदारी के बगैर ट्रेड यूनियन आंदोलन का उद्देश्य सफलतापूर्वक पूरा नहीं हो सकता. उन्होंने सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ अविराम आंदोलन तेज करने की अपील की. ये नीतियां कामकाजी महिलाओं की बद से बदतर हालत के लिए जिम्मेदार हैं, जिनकी वजह से कामकाजी महिलाएं मालिकों के हमले का प्रथम शिकार बनती हैं. उन्होंने कहा कि राजीव गांधी को हटाने की मांग और अधिक बुलंद किया जाना जरूरी है.

सी पी आई(एम) की गुजरात राज्य समिति के सचिव का. ठाकोरभाइ शाह, सीटू राज्य समिति के अध्यक्ष सुबोध मेहता तथा महासचिव जी.के. परमार के अलावा रघुवीर माली, निजामुद्दीन शेख ने भी सम्मेलन को सम्बोधित किया.

सतीश परमार ने पिछले सम्मेलन के बाद एक साल के भीतर हुए कार्य का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया. इसमें कपड़ा मिलों में अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल मालिकों के कार्यालय के समक्ष व्यापक धरना सहित विभिन्न उद्योगों में कामकाजी महिलाओं के आंदोलनों का जिक्र किया गया है.

बहस में नाथीबेन, शारदाबेन, रमा, सरिताबेन, मंजुलाबेन, मंजुबेन ने भाग लिया. इन्होंने कामकाजी महिलाओं के जुझारू संघर्ष में अपनी भागीदारी तथा अपने अनुभवों और अपनी मांगों का भी जिक्र किया.

सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित कर राजीव सरकार के इस्तीफे, समान काम के लिए समान वेतन, बन्द मिलों

(शेष पृष्ठ 19 पर)

बिहार की ऐतिहासिक हड़ताल और कामकाजी महिलाएं

राम पुकारी देवी

आर्थिक पिछड़ेपन, जातिवाद, सांप्रदायवाद, हरिजनों के शोषण तथा सामन्ती अवशेषों के कारण मंथर गति से विकास की ओर अग्रसर बिहार राज्य पूरे भारत में बदनाम है. जनसंख्या की आधी आबादी (महिलाओं) का बहुमत आज भी विभिन्न जन-आंदोलनों में सक्रिय भूमिका अदा नहीं कर पाता है.

किन्तु इन सब कमजोरियों के बावजूद बिहार एक ऐसा राज्य है जहां वर्तमान आंदोलनों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ रही है. बिहार के अराजपत्रित कर्मचारियों का 75 दिवसीय हड़ताल — भारत के अब तक के राज्य कर्मचारियों के पिछले हड़तालों को पीछे छोड़कर सबसे बड़ी हड़ताल बन गयी है. इस हड़ताल में कर्मचारियों की चट्टानी एकता के आग में योगेश्वर गोप का मजदूर-विरोधी, हड़ताल-विरोधी, सरकार परस्त अवसरवादिता जलकर भस्म हो गया; राज्य सरकार का तिकड़म एवं षड्यन्त्र नाकाम हो गया तथा राज्य के एक सबसे बड़ी वामपंथी पार्टी सी पी आई के कर्मचारी एवं मजदूर नेताओं का वर्गसहयोग का चरित्र पुनः कर्मचारियों एवं आम जनता के सामने स्पष्ट हो गया.

इस ऐतिहासिक हड़ताल में बिहार प्रशिक्षित प्रसव सेविकाओं, आंगनबाड़ी सहायिकाओं एवं अन्य महिला कर्मचारियों ने सिर्फ शत-प्रतिशत संख्या में आंदोलन के कार्यक्रम के सिलसिले में राज्य सचिवालय, राज्य के सभी जिला, अनुमण्डल एवं प्रखण्ड कार्यालयों का घेराव कर किसी भी हड़ताल तोड़क कर्मचारी एवं पदाधिकारी को अंदर घुसने तक नहीं दिया. जहां पुलिस के बल पर राज्य सरकार पुरुष कर्मचारियों को जहां-तहां धक्का देकर घुसने में सफल हुई वहां भी महिलाओं के उग्र तेवर, क्रांतिकारी नारा एवं अपार उत्साह को देखते हुए पुनः वापस लौट गई. पुलिस एवं पदाधिकारियों के बर्बरतापूर्ण कार्रवाइयों को रोकने में इस हड़ताल के क्रम में महिलाओं की भूमिका अविस्मरणीय रही है.

ग्राम सेविकाओं एवं स्वास्थ्य विभाग की महिला कर्मचारियों ने समूह में घूम-घूम कर विभिन्न दफ्तरों को बन्द कराया, धरना दिया एवं अपनी उपस्थिति एवं सरल व्यवहार से गुमराह पुरुष कर्मचारियों में उत्साह भरकर आंदोलन में शिरकत कराया.

मुजफ्फरपुर जिला में पूरे बिहार राज्य के वातावरण के विपरीत स्थिति के कारण हड़ताल की सफलता संदिग्ध थी क्योंकि संघ के जिलामंत्री सहित एक प्रभावी तबका योगेश्वर गोप के साथ मिलकर प्रतिदिन घूम-घूम कर हड़ताल का विरोध कर रहा था तथा भ्रम एवं संदेह का वातावरण बनाकर कर्मचारियों को गुमराह कर रहा था. जिलामन्त्री जो मुजफ्फरपुर के कोऑर्डिनेशन कमेटी के महामन्त्री थे, दूसरे कर्मचारी संगठनों को भी हड़ताल में मदद करने से रोके रहा. पर महिलाओं ने एकजुट होकर हड़ताल को शत-प्रतिशत सफल बनाया तथा दुश्मनों के सारे षड्यन्त्र को बेकार कर दिया गया.

पूरा सितम्बर को पटना के विशाल प्रदर्शन में महिलाओं ने हिस्सा लेकर हड़ताल के समर्थन में प्रेस, आम जनता, राजनीतिक पार्टियों एवं दूसरे कर्मचारी संगठनों के नेताओं को चकित कर दिया तथा हजारों की संख्या में महिलाओं की भागीदारी ने यह संकेत दिया कि अगर इनकी मांगों को नहीं माना गया तो वह दिन दूर नहीं जब ये महिलाएं गांवों एवं शहरों के घरों में जाकर महिलाओं को अपने समर्थन में खड़ा करेंगी तथा अपने मांगों को हासिल कर लेंगी. जुलूस में महिलाओं ने अपने साथ नवजात शिशुओं को गोद में रखकर हिस्सा दिया था जिसके कारण जन-समर्थन हड़ताल के पक्ष में जुटाने में हमें सफलता मिली. इस हड़ताल ने यह प्रमाणित कर दिया है कि जब तक महिला कर्मचारी एवं अन्य महिलाओं के बीच एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम, निस्वार्थ सेवा एवं मदद करने की भावना पैदा नहीं होगी तब तक भविष्य में होने वाले जन-आंदोलनों में सफलता प्राप्त करना मुश्किल होगा.

हड़ताल के अंतिम चरण में राज्य सरकार से जो

(शेष पृष्ठ 21 पर)

भ्रष्ट अधिकारी का तबादला

आखिरकार पूर्णतः भ्रष्ट और असक्षम अधिकारी के रूप में कुख्यात चंडीगढ़ क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त एस पी जैन, को चण्डीगढ़ से कानपुर स्थानांतरित कर दिया गया. चण्डीगड से मिली जानकारी के मुताबिक केन्द्रीय श्रम मंत्री ने उनके खिलाफ जांच के आदेश जारी किया है. चण्डीगढ़ कार्यालय के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों और ट्रेड यूनियनों, अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति और दूसरे संगठनों की ओर से महीना भर पहले से श्रम मंत्री को लगातार ज्ञापन देने तथा उन पर एस पी जैन के तबादले के लिए दबाव डालने के परिणाम स्वरूप हुआ.

अफसर शाहों द्वारा उच्च स्तरों पर भ्रष्टाचार, कर्मचारियों को यातना भाई-भतीजावाद, लाखों करोड़ों रुपये का अवैध कारोबार इत्यादि कांग्रेस (इ) शासन में रोजमर्रे की घटना बन गयी है. जो इस कांग्रेस (इ) परम्परा के के खिलाफ उठ खड़े होने का दुस्साहस करते हैं उन्हें परेशान किया जाता है. उनकी नौकरी छिन ली जाती है. एस पी जैन ने चण्डीगढ़ में कार्यरत कर्मचारियों को जिनमें महिला कर्मचारी भी थीं, को उनके पारिवारिक दिक्कतों, उनके बच्चों की शिक्षा इत्यादि को नजरअंदाज करते हुए दुरस्त जगहों पर स्वेच्छाचारी ढंग से तबादला कर दिया. इनमें अधिकांश वैसे कर्मचारी थे जिन्होंने आयुक्त के हाथों कठपुतली बनने से साफ इन्कार किया था. पुष्पलता नाम की विकलांग कर्मचारी की बदली कर दी गई. उसका बेटा पक्षाघात रोग से पीड़ित है. उच्चतम न्यायालय ने उसके तबादले के आदेश को खारिज कर दिया. अमीता शर्मा, हरविन्दर कौर सहित अनेक कर्मचारियों को दो-दो बार दूरदराज स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया. इस भ्रष्ट अधिकारी ने घर पर अकेले छोड़े गए बेसहारा बच्चों का भी ख्याल नहीं किया. जब कि तथाकथित यूनियनों से जुड़े कर्मचारियों की चंडीगढ़ से कभी नहीं बदली की गई. इन तथाकथित अनोखे यूनियनों में 5-6 सालों तक चुनाव नहीं हुए हैं, इसके बावजूद कुछ कर्मचारी इन यूनियनों के सदस्य और कार्यकर्ता बने हैं.

अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति ने प्रविडेंट फण्ड कमीशनर के चण्डीगढ़ कार्यालय में कार्यरत कुछ कर्मचारियों की शिकायतों को श्रम मंत्री के समक्ष रखा. समिति ने आरोप लगाया कि महिला कर्मचारियों को दुरस्त जगहों पर दो या तीन बार स्थानांतरित किया जाना गैर कानूनी है. समिति ने मांग की कि श्रम मंत्रालय तबादले के संबंध में न्यायोचित नीति तथा कानून बनाए. ट्रेड यूनियनों, और कुछ नेताओं के व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व और लगातार प्रयास तथा श्रम मंत्री पर दबाव डालने के कारण श्रम मंत्री को दिसंबर 1988 में यह निर्देश जारी करना पड़ा कि स्थानांतरित कर्मचारियों को दुबारा पहले के कार्यालय में उन्हीं पदों पर पुर्नस्थापित किया जाय तथा इन कर्मचारियों को तबादले की धमकी न दी जाय. साथ ही एस पी जैन को कानपुर स्थानांतरित कर दिया गया तथा उनके कारगुजारियों के खिलाफ जांच आदेश जारी कर दिए गये हैं.

यह सही है कि चण्डीगढ़ के लोकतांत्रिक मूल्यों के पक्षधर कुछ समाचार पत्रों ने एस पी जैन के कारनामों का भन्डाफोड़ करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई. कुछ महिला कर्मचारियों ने भी बहादुराना ढंग से इस भ्रष्ट अधिकारी की यातनाओं और धमकियों का मुकाबला किया. आखिरकार इन्हें न्याय मिला. अब इन कर्मचारियों की निगाहें एस पी जैन के खिलाफ जांच आदेश पर टिकी है. कर्मचारियों की उम्मीद है कि केन्द्रीय श्रम मंत्री स्थानांतरण के संबंध में जल्द ही न्यायोचित नीति बनाएंगे. यह दरअसल उन कामकाजी महिला की जीत है जिन्होंने तथाकथित यूनियन नेताओं से संरक्षित दमनकारी प्रशासन के खिलाफ अविराम संघर्ष चलाया.

(पृष्ठ 17 का शेष)

को चालूकरने, कपड़ा उद्योग का राष्ट्रीयकरण, दहेज और सती के खिलाफ कार्रवाई करने, महिलाओं के लिए रोजगार की अधिक सम्भावनाओं, ठेका मजदूरी की समाप्ति तथा आंगनबाड़ी महिलाओं के हितों की रक्षा इत्यादि की मांग की गयी.

सम्मेलन में सदस्यीय समिति गठित की गई. जिसके सदस्य रेवाबेन, शारदाबेन, सरिताबेन, मंजुलाबेन, नाथीबेन और सीताबेन होंगी. सतीशभाई परमार को समिति का प्रभारी चुना गया है. चार सदस्यों का चुनाव बाद में होगा.

लम्बे संघर्ष का फल अब पाकिस्तान की महिलाओं को मिलेगा

पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नेता श्रीमती बेनजीर भुट्टो का हाल के पाकिस्तान चुनाव में विजय और उनका पाकिस्तान की प्रधान मन्त्री बनना पाकिस्तान की जनतांत्रिक ताकतों की महान विजय है तथा पिछले 11 सालों से कायम सैनिक शासन की गहरी पराजय है. पाकिस्तान भर की जनता, आम औरतों और पुरुषों की ओर से श्रीमती बेनजीर को मिली गर्मजोश बधाई और अभिनन्दन इस बात के प्रतीक हैं कि इस चुनाव में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की विजय तय थी. वह इस्लामी देशों की सबसे युवा प्रधान मन्त्री हैं. उन्होंने अपने प्रतिद्वन्दी इस्लामी डेमोक्रेटिक एलायंस के 148 उम्मीदवारों में से 55 उम्मीदवारों को शिकस्त दी. न केवल पाकिस्तान में बल्कि समूचे विश्व में उनकी विजय जिया-उल हक के सैनिक शासन और लोगों के बुनियादी अधिकारों को निरस्त करने वाले सैनिक कानूनों के आतंक के खिलाफ, लोकतांत्रिक ताकतों के विजय के रूप में देखा जा रहा है. खासकर पाकिस्तान की महिलाओं को इस्लामी पुरातनपंथी ताकतों के खिलाफ इस विजय की अलग ही अनुभूति मिलेगी जिन्होंने महिलाओं की मुक्ति के लिए अपना संघर्ष जारी रखा.

श्रीमती बेनजीर भुट्टो के बयानों का भारतीय महिलाओं ने स्वागत किया

भारतीय महिलाओं ने श्रीमती भुट्टो के प्रगतिशील बयानों का स्वागत किया है. श्रीमती भुट्टो ने कहा कि वह सदा सैनिक शासन के खिलाफ तथा लोकतन्त्र की बहाली और राजनैतिक कैदियों की रिहाई के समर्थन में रहेंगी. उनकी सरकार शांति और नाभिकीय युद्ध विरोधी नीति पर चलेगी और पाकिस्तान तथा भारत के बीच शिमला समझौता लागू करवाने की दिशा में काम करती रहेगी. भारत की जनता अब पंजाब में शांतिपूर्ण माहौल तथा खालिस्तान के नाम पर वहां की जाने वाली हत्याओं में कमी आने की उम्मीद कर सकते हैं. उसने ये महत्वपूर्ण बयान हाल के प्रेस सम्मेलन में दिया है.

पिछले चार-पांच वर्षों के दौरान हजारों महिलाएं और बच्चे उग्रवादियों के हाथों मारे जा चुके हैं. इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच कटुतापूर्ण सम्बन्ध उत्पन्न हो गए थे. पाकिस्तान में लोकतन्त्र की बहाली से पाकिस्तान और भारत की पुरातनपंथी ताकतों को खासी शिकस्त मिली है.

समानता के लिए पाकिस्तान की महिलाओं का संघर्ष

विभिन्न संगठनों के नेतृत्व में पाकिस्तान में चल रहे महिला आंदोलन वर्षों से महिलाओं की बराबरी के लिए संघर्षरत हैं. खुद श्रीमती बेनजीर ने करांची में 20 महिलाओं की गिरफ्तारी की निंदा की है. ये महिलाएं सैनिक शासन में मारी गई दो बहनों और उनके पिता के हत्यारों को सजा देने की मांग कर रही थीं. श्रीमती भुट्टो महिलाओं के जुझारू आंदोलनों से वाकिफ हैं. इस्लामिक शरीयत अदालत के अधिकारों को विस्तार किए जाने के प्रस्ताव के खिलाफ 20 सितम्बर 1986 को पाकिस्तान की 400 महिलाओं ने पाकिस्तान की संसद पर जुझारू प्रदर्शन किया. इस प्रगतिशील प्रदर्शन के खिलाफ भी कुछ गुमराह कट्टरपंथी युवकों ने विरोधी प्रदर्शन किए. प्रसिद्ध महिला संगठन 'वूमेन्स एक्शन फोरम' के नेतृत्व में करांची, लाहौर और दूसरे प्रांतों की महिलाओं ने एकजुट होकर इस प्रस्ताव को वापस लिए जाने की मांग उठाई. यह कोई रहस्य नहीं है कि पाकिस्तान की आम महिलाओं ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और श्रीमती बेनजीर भुट्टो को अपना वोट दिया. हम इस तथ्य से वाकिफ हैं कि वर्तमान राजनैतिक परिस्थितियों में उस पर कठिन जिम्मेदारी का बोझ है. डेमोक्रेटिक इस्लामी एलायंस प्रजातन्त्र की बहाली तथा श्रीमती बेनजीर भुट्टो के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के रास्ते में निश्चित तौर पर रुकावटें खड़ी करेगा.

औरतों को पत्थर मार-मार कर मार दिया जाना

इस्लाम, कुरान और शरीयत के नाम पर औरतों को हरेक तरह के अमानवीय यातनाओं का शिकार बनाया गया है. औरतों को तमाम सामाजिक बुराइयों की दोषी ठहराया गया. व्यभिचार के आरोप में पत्थर से मार-मार कर दो औरतों की जान ले ली गई. बलात्कार की शिकार सोफिया नाम की एक अंधी लड़की को जेल में कड़े परिश्रम की सजा दी गई. इस्लामी कानून औरतों की प्रत्यक्ष गवाही को कोई महत्व नहीं देता. दो औरतों की गवाही एक पुरुष की गवाही के बराबर मानी जाती है. महिलाओं को लोगों के सामने जाने पर बुर्का नहीं पहनने या पर्दा नहीं करने पर सजा दी जाती जबकि पुरुष खुले सर, खुले बदन सरेआम घूमते हैं. व्यभिचार के आरोप में पुरुषों को सजा बख्श दी जाती है जबकि औरतों को कोड़े से तबतक पीटा जाता है जबतक वह बेहोश नहीं हो जाती. श्रीमती बेनजीर भुट्टो को एक महिला होने के नाते हजारों पीड़ित और दलित महिलाओं के दयनीय अनुभवों और दुखों को समझना होगा. हमें विश्वास है कि श्रीमती बेनजीर भुट्टो तमाम प्रतिक्रियावादी नियमों का जल्द से जल्द उन्मूलन करवा कर महिलाओं को समानता का दर्जा दिलवाकर शोषित महिलाओं को न्याय दिलाने का हर सम्भव प्रयास करेंगी.

अधिकारों के लिए भारतीय महिलाओं का संघर्ष जारी रहेगा

'मुस्लिम महिलाओं के जीवन निर्वाह का अधिकार' के लिए संघर्ष कर भारतीय महिलाएं पाकिस्तान की महिलाओं की हितों का समर्थन कर चुकी हैं. ये समान वेतन के लिए और दो बच्चों के बाद मातृत्व लाभ सुविधा में कटौती किए जाने के खिलाफ संघर्ष कर रही हैं. साथ ही दहेज हत्या तथा महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार के खिलाफ उनका संघर्ष जारी है. पाकिस्तान और भारत की महिलाएं अपने न्यायोचित अधिकारों को लेकर संयुक्त संघर्ष चला सकती है. हम पाकिस्तान की जुझारू महिलाओं के प्रति अपनी दृढ़ एकजुटता का इजहार करते है तथा उन्हें अपना सहयोग देने का वादा करते हैं. साथ ही हम श्रीमती बेनजीर को इन खास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करते हैं.

(पृष्ठ 18 का शेष)

समझौता हुआ उसमें प्रसव सेविकाओं को प्रसव स्थितियों के समान रहने पर स्वास्थ्य विभाग के कक्ष सेविका एवं महिला झाड़ूकश के पदों पर नियुक्ति की मान्यता, आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका के सभी पहलुओं पर गहराई से विचार कर समुचित निर्णय 30 जून 1989 तक करने, तथा चतुर्थ श्रेणी के महिला कर्मचारियों को पुरुषों की तरह उचित गरम बर्दी देना शामिल है.

इस ऐतिहासिक हड़ताल की सफलता ने महिलाओं में अभूतपूर्व जन-उभार एवं उत्साह पैदा किया है परन्तु उन्हें संगठित करना, शिक्षित करना एवं भावी आंदोलनों में उन्हें सम्मिलित करने के लिए तैयार करना हमारा सबसे प्रमुख कार्य है. हमें इसमें पूरी सफलता मिलेगी.

(पृष्ठ 9 का शेष)

के करीब एक हजार मामले और दहेज के लिए नववधुओं को सताने के 700 मामले भी दर्ज किए गये हैं.

दहेज हत्या की बढ़ती संख्या को इस साल से पहले हर साल तत्कालीन मुख्य मंत्री ने विधान सभा में बताया कि वर्ष 1984-87 के दौरान दहेज मांगने के 1578 मामले दर्ज किए गये श्री बोरा ने बताया कि 1516 मामलों पर सुनवाई जारी है.

सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों ने दहेज हत्या की बढ़ते घटनाओं के विरुद्ध हमेशा से आवाज बुलन्द किया है तथा इसके प्रति गंभीर चिंता जाहिर की है.

इन्होंने दहेज कुरीति के खिलाफ सामाजिक चेतना जगाने तथा दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की हमेशा कोशिश की है.

राज्य विधान सभा में इस मुद्दे पर कई बार विचार विमर्श हुए हैं और इस समस्या के खात्मे के अनेक सुझाव दिये गये हैं. इनमें से प्रमुख सुझाव यह था कि दहेज हत्या तथा अपराधियों को कड़े दंड देने के मामले को निपटाने के लिए विशेष अदालत बनाई जाय.

मध्य प्रदेश में दहेज हत्या के संबंध में सबसे मजेदार बात यह है कि यह कुप्रथा उच्चतर धनियों और मध्य वर्गीय लोगों के बीच अधिक प्रचलित है. हालांकि यह सही है कि आदिवासी बहिर्भूत इलाकों में दहेज हत्या के मामले कभी भी प्रकाश में नहीं आ पाते.

(पृष्ठ 2 का शेष)
भलाई नहीं होने की है जब तक कि इन्हें व्यवहार में लाने के लिए गंभीर कदम न उठाये जाए. महिलाएं दया की मोहताज नहीं है उन्हें उनके अधिकार मिलने चाहिए. प. बंगाल के कांग्रेस (इ) विधायक श्रीमती ममता बनर्जी जो खुद को बहुत जुझारू समझती हैं, कांग्रेस (इ.) की सभी सदस्यों के परिवार की महिलाएं कांग्रेस में शामिल हों अन्यथा उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाय."

आश्चर्य वाली बात यह है कि कांग्रेस के महिला विधायकों ओर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्यों को महिलाओं के विकास के प्रति अचानक इतनी चिंता क्यों हो रही है ? क्या इसलिए की आगामी x लोकसभा चुनाव में 50 प्रतिशत महिलाओं का वोट बैंक अपने कब्जे में किया जाए. कांग्रेसी शासकों को यह नहीं भुलना चाहिए कि महिलाओं ने अपने मांगों को लेकर जो संघर्ष किये हैं उससे महिलाओं ने काफी कुछ सीखा है अब महिलाएं इतनी अपरिपक्व नहीं है कि इन्हें गुमराह किया जा सके. ये महिलाएं तमिलनाडु विधान सभा चुनाव की तरह आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेसी शासक को अच्छा सबक सिखायेंगी.

(पृष्ठ 24 का शेष)
दुबारा मंचित किया. यह बेमिसाल हिम्मत सिर्फ मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारधारा की गहन दृढ़ता से ही पैदा हो सकती है. बहादुर माला ने चट्टान की तरह अविचलित रह कर नाटक में अपना किरदार निभाया, इस नाटक को देखने के लिए हजारों मजदूरों की भीड़ जुटी हुई थी.

सफदर की मां कॉमरेड कमर हाशमी बहुत ही साहसी महिला है जिन्होंने पूरे नाटक को अद्भुत शांति और दृढ़ता के साथ देखा, उस समय वे पूरे कामरेड साथियों की मां बन गई थी उनका सफदर 10 हजार दर्शकों में पोशीदा हो उठा था.

सफदर का पूरा परिवार ही देशभक्त और हमेशा से ही कम्यूनिस्ट पार्टी से जुड़ा परिवार है. सफदर का भाई सुहेल भी अपने भाई की तरह पार्टी का पूर्णकालिक कार्यकर्ता है.

माला, कमर, सुहेल और सफदर के परिवार के दूसरे सदस्यों को हम शोक संवेदना व्यक्त करते हैं

अमर शहीद कॉमरेड सफदर को लाल सलाम !

उनकी शहादत हम लोगों के लिए मिसाल बन गई है, जो हमेशा-हमेशा हमें रास्ता दिखायेगी.

दिल्ली हड़ताल में शानदार भूमिका के लिए कामकाजी महिलाओं को बधाई

अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति की सचिव विमल रणदिवे ने 22 नवंबर 1988 को निम्नलिखित प्रेस बयान जारी किया :

अ.भा.का.म.स. समिति, सीटू के नेतृत्व में आज से चलने वाले हड़ताल में शामिल होकर दिल्ली प्रशासन को करारा जवाब देने के लिए मजदूरों, महिलाओं और पुरुषों को बधाई देती है जिन्होंने 1050 रुपये न्यूनतम वेतन, बन्द मिलों को चालू करवाने, पालनागार की सुबिधा, महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ सुविधा की मांग को लेकर फैक्ट्रियों में सफल हड़ताल का आयोजन किया. समिति शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे मजदूरों के खिलाफ गिरफ्तारी तथा दमनकारी कदम की निंदा करती है. इस आंदोलन ने उन मजदूरों के गुस्से को जाहिर कर दिया है जिन्हें वर्षों से न्यूनतम वेतन से वंचित रखा जा रहा है तथा जो मूल्य वृद्धि, बढ़ती बेरोजगारी इत्यादि से त्रस्त हैं. हालांकि वे मजदूर सं.टू के झंडे तले हड़ताल कर रहे हैं किंतु दूसरी ट्रेड यूनियनों ने भी हड़ताली मजदूरों के प्रति एकजुटता का इजहार किया है. अ.भा.का.म.स. समिति दिल्ली प्रशासन से मांग करती है कि वह मजदूरों की मांगों को मान ले और मजदूरों के खिलाफ दमनकारी रवैया बन्द करे.

(पृष्ठ 3 का शेष)

नियमित फंड और दूसरी सुविधाओं के बिना इस संगठन को चला पाना बहुत कठिन है, अपनी सीमित क्षमता में ही हमारी कोशिश है कि केरल में महिला दस्तकारों की भारी संख्या को अच्छी तरह से संगठित किया जाए और उन्हें मजदूर आंदोलन की गतिविधियों में लाया जाय. इस समय हमारी यूनियन में बहुत सी पूर्ण कालिक महिला कार्यकर्त्तायें काम कर रही हैं.

दस्तकार यूनियन की राज्य समिति बहुत खुश हैं, और जल्द ही महिला कामगारों का एक सम्मेलन बुलाने को इच्छुक हैं. सम्मेलन की तारीख बाद में सूचित की जायेगी.

(पृष्ठ 14 का शेष)

कार्यालय को कोई भी आदेश या सूचना नहीं मिली है.

इस तरह निराश होकर वह फिर पटना आया. वहां वह बिहार के उच्चाधिकारियों से मिला. लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला. वह दुबारा मुख्य मंत्री से मिलना चाहता था लेकिन उसे मुख्य मंत्री से मिलने नहीं दिया गया. इसके बाद वह न्याय की तलाश में फिर दिल्ली आया.

अब गरीब ब्राह्मण को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है. वह और उसका परिवार भूखों मरने की कगार पर पहुंच चुका है. सबसे दुर्भाग्य पूर्ण बात यह है कि उसका अपने गांव से भी रिश्ता खत्म हो गया. वह अब वहां जाने का दुस्साहस नहीं कर सकता क्योंकि गांव वालों ने धमकी दे रखी है कि गांव में कदम भी रखा तो उसे जला दिया जायेगा. वहां सामाजिक कानून यह है कि यदि कोई अपनी जाति में शादी न करके सामाजिक परम्परा को तोड़ता है तो उसे जिन्दा जला दिया जाता है. यही बात उसकी पत्नी के साथ भी है. उसकी पत्नी के मां-बाप अपनी बेटी, जिसने ब्राह्मण से शादी की, को जलाकर मारडालने पर तुले हैं.

यह है खिलानन्द की दुखः भरी गाथा. जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कांग्रेस (इ) शासन व्यवस्था और रूढ़ीवादी समाज ने जो इनाम दिए हैं वह किसी भी शासन व्यवस्था और समाज के लिए गहरा कलंक है.

ईरान में दमन बंद करो

अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति और अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ईरान में खुमैनी निजाम में राजनैतिक कैदियों को बड़ी संख्या में फांसी पर लटकाये जाने का जोरदार विरोध तथा तीव्र भर्त्सना करती है. अभी इरानी जनवादी महिला संघ (डी.ओ.आई.-डब्ल्यू.) की 76 वर्षीय नेता मरियम फिरोज के साथ-साथ सैकड़ों महिला कैदियों की जिंदगी खतरे में है. प्राप्त सूचना के अनुसार खुमैनी निजाम इस प्रयास में है कि कैदियों की सुनवाई धार्मिक शरीयत अदालत में हो जहां उनसे इस बात की स्वीकृति ली जाएगी कि उन्होंने इस्लामी शासन के खिलाफ बगावत की. यदि वे ऐसा करने से इंकार करते हैं तो उन्हें धर्म-विरोधी गतिविधियों में संलग्न रहने के आरोप में मृत्यु दंड दिया जाएगा. ठीक इसी तरह से सैकड़ों राजनैतिक कैदियों को फांसी दी जा चुकी है. ऐसी सूचना भी है कि महिला कैदियों को अपनी स्वीकृति देने के लिए मजबूर किया जाता है. यह व्यापक तौर पर फांसी देने की तैयारी नहीं तो और क्या है. ये महिलाएं ईरान की सर्वोत्तम पुत्रियां हैं जिन्होंने शाह निजाम के खिलाफ संघर्ष में अमूल्य बलिदान दिया था परन्तु ये आज खुमैनी शासन काल में काल-कोठरियों में मौत से जूझ रही हैं.

दुनिया में इससे पहले शायद ही ऐसी बर्बरता-पूर्ण कार्रवाईयां हुई हैं जैसा कि खुमैनी शासन अपने विरोधी राजनीतिज्ञों के साथ बर्बरतापूर्ण कार्रवाई कर रहा है. उसकी यह कार्रवाई हिटलरी फांसीवाद की याद दिला देती है. हम भारत की महिलाओं की तरफ से ईरान की बहनों के साथ एकजुटता की आवाज बुलंद करते हैं. हम उनकी अविलम्ब रिहाई तथा राजनैतिक कैदियों को फांसी दिए जाने तथा उनकी दमन की नीति को बन्द करने की मांग करते हैं. हम संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से अपील करते हैं कि बहुमूल्य जीवन को बचाने के लिए इस संबंध में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें.

कामरेड सफदर को लाल सलाम!

कामरेड सफदर हमारे बीच अब नहीं रहे, उनके जनाजे में शामिल हुई अलग-अलग पेशों के हजारों महिलाओं और पुरुषों की भीड़ सबूत थी इस बात का कि वह कितना प्रसिद्ध और किस कदर प्यारा इंसान था. शायद ही कोई शख्स रहा होगा, जो अपने आंसुओं को रोक सका हो, कुछ लोग तो फूट-फूट कर रो रहे थे सफदर की शहादत पर और उस क्रूरता पर जिससे उनकी हत्या की गई.

सफदर हर तरह से एक असाधारण इंसान था, उसकी सरल और निश्चल मुस्कान और हर किसी से संतुलित और बेबाक व्यवहार ही ऐसी खूबियां थीं जो उसे प्रसिद्ध और सबका अजीज बना देती थीं.

अपने कामरेड साथियों के साथ औरत, चक्का जाम, हल्ला बोल और दूसरे नुक्कड़ नाटकों का रिहर्सल करने वह रोज सीटू ऑफिस तालकटोरा रोड में आया करता था, जो आगे चलकर दिल्ली और आस-पास के इलाकों में बहुत मशहूर हुए. इन नाटकों की जड़ में सफदर का दिमाग ही रहा करता था, वह बड़ी ही होशियारी से नाटकों को चुनता, उन्हें लिखना-सुधारना और जरूरत के मुताबिक बदलना, निर्देशित करना और इनको अभिनीत करने के लिए अपने कॉमरेड साथियों को प्रेरित करना, उन्हें उत्साहित करना ये सारे दायित्व उसी के थे, जिन्हें वह पूरी संजीदगी के साथ निभाया करता था.

इन नाटकों में उठाये गये सवाल और कलाकारों का अभिनय इतना सशक्त और असरदार होता था कि हजारों मजदूरों पुरुष और महिला मजदूरों की भीड़ को बांधे रखता था. इसका मूल कारण यही था कि कांग्रेस शासन में मजदूर वर्ग के भयानक शोषण और अन्याय का चित्रण इन नाटकों में अभिव्यक्त होता था, ये नाटक मजदूरों के वर्ग में छाये आक्रोश और घृणा को उभारते थे, और शोषण, अन्याय करने वाली इस व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए मजदूरों को एक हो जाने को प्रेरित करते थे.

सिर्फ 35 साल का था सफदर और यकीनन यह उमर मरने की नहीं थी. अपने लेखन और नाटकों के माध्यम से, आम आदमी की सेवा करने और जमींदारों, बुर्जुआ व्यवस्था और कांग्रेसी तानाशाही की खिलाफत का परचम उठाने के लिये सफदर ने अपनी नौकरियां छोड़ दीं और पार्टी के पूर्णकालीन कार्यकर्ता हो गये.

न्यूनतम मजदूरी के लिए पिछले नवम्बर को दिल्ली में हुई औद्योगिक हड़ताल के दौरान सफदर ने जन नाट्य मंच के अपने साथी कलाकारों के साथ 300 नुक्कड़ नाटकों का मंचन किया. बाद में जब यही कलाकार साहिबाबाद के स्थानीय निकायों के चुनाव में एक उम्मीदवार के समर्थन में नाटक 'हल्ला बोल' का मंचन कर रहे थे, कांग्रेस और जन-विरोधी फिरकों की नजर में यह एक संगीन अपराध था, जिसके लिए उस पर हमला किया गया और नृशंसता से उसकी हत्या कर दी गई.

इस हादसे ने एक बार फिर जाहिर कर दिया कि नुक्कड़ नाटकों की ताकत कितनी ज्यादा है और किस तरह से वह कांग्रेसी हुकूमत की अमानवीय स्थितियों को मिटाने के लिए किस तरह से लोगों को जागृत कर सकता है.

लेकिन कांग्रेसी हुकूमत अगर यह मानती है कि इस तरह की आतंककारी तरीकों से वे मजदूरों का दमन कर सकती है, तो यह उनकी भारी भूल है. ये हथकंडे 1970-71 के दौरान कलकत्ता में भी सफल नहीं हुए जहां कांग्रेसी और समाज विरोधी सरकार ने हमारे हजारों कामरेड साथियों को मारा, उनकी हत्याएं करवाईं.

यह जन-विरोधी तरीका त्रिपुरा में भी सफल नहीं होगा जहां सैकड़ों आदिवासी सी पी आई(एम) समर्थक मजदूर मारे जा रहे हैं.

जनता अब समझ रही है कि, कांग्रेस शासन की बड़े पैमाने पर की जा रही इन जन-विरोधी हथकंडों से आम जनता खूब वाकिफ हो रही है.

सफदर की पत्नी कामरेड माला और जन नाट्य मंच के साथी कलाकारों का साहस और दृढ़ता भी देखने और विश्वास के लिए एक मिसाल है.

इस आतंककारी हादसे के दूसरे दिन माला और जनम के बाकी कलाकारों ने साहिबाबाद में उसी जगह पर जाकर उस हादसे में अधूरे रह गये नाटक को

(शेष पृष्ठ 22 पर)